

**अध्याय-4**  
**सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बंधित**  
**अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**



## अध्याय-4

### सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

#### 4.1 उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में बिलिंग दक्षता एवं राजस्व वसूली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

##### 4.1.1 परिचय

कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 12 फरवरी 2001 को निगमित उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड<sup>1</sup> (उ पा का लि) उत्तराखण्ड राज्य के 13 जिलों में फैले 29.13 लाख उपभोक्ताओं (31 मार्च 2024 तक) को विद्युत आपूर्ति करने वाला एकमात्र वितरण लाइसेंसी है। उ पा का लि विद्युत उत्पादक कम्पनियों से विद्युत खरीदता है और अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करता है। परिचालन सुविधा के लिए, उ पा का लि ने अपने उपभोक्ताओं को, विद्युत के उपयोग की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर, घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि, सरकारी सार्वजनिक उपयोगिताओं और उद्योगों में वर्गीकृत किया है (*परिशिष्ट-4.1*) है। उ पा का लि समय-समय पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ) द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई ऊर्जा के सापेक्ष उनसे ऊर्जा प्रभार वसूलता है।

##### 4.1.2 संगठनात्मक संरचना

उ पा का लि का प्रबंधन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार (उ स) की अध्यक्षता वाले निदेशक मंडल (नि मं) के अध्यक्ष के रूप में निहित है। उ पा का लि के दैनिक मामलों का प्रबंधन, प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशक (परिचालन), निदेशक (परियोजना), और निदेशक (वित्त) की सहायता से किया जाता है।


प्रशासनिक सुविधा के लिए, उ पा का लि ने राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को चार क्षेत्रों (गढ़वाल, कुमाऊं, हरिद्वार और रुद्रपुर) में विभाजित किया है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक मुख्य अभियंता (मु अ) करता है, जिसे आगे 14 विद्युत वितरण मण्डलों<sup>2</sup> (वि वि म) में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक अधीक्षण अभियंता (अ अ) करता है, और वि वि म को आगे 46 विद्युत वितरण खण्डों (वि वि ख) और 12 विद्युत परीक्षण खण्डों (वि प ख) में विभाजित किया गया है,

<sup>1</sup> सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

<sup>2</sup> एक वि वि म, वि वि म चकराता मार्च 2024 में बनाया गया था।

जिनमें प्रत्येक का नेतृत्व एक अधिशासी अभियंता द्वारा किया जाता है (31 मार्च 2024)। इस प्रकार, उ पा का लि की वितरण संबंधी गतिविधियां 72 इकाइयों के माध्यम से संचालित की जा रही थी, जो उपभोक्ताओं को विद्युत का वितरण करने और उनसे राजस्व वसूली सुनिश्चित करने में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थीं। संगठनात्मक संरचना को नीचे चार्ट-4.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट-4.1: संगठनात्मक संरचना (वितरण)



उ पा का लि की मुख्य गतिविधियों में विद्युत उत्पादन कंपनियों जैसे यू जे वी एन लिमिटेड, एन टी पी सी, एन एच पी सी और अन्य<sup>3</sup> से विद्युत का क्रय, वितरण नेटवर्क जिसमें विद्युत लाइनें, सब-स्टेशन और ट्रांसफार्मर सम्मिलित हैं, के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत का वितरण; उपभोक्ताओं को उक्त की बिलिंग तथा उनसे राजस्व वसूली आदि सम्मिलित हैं। उ पा का लि की बिलिंग दक्षता और राजस्व वसूली से संबंधित गतिविधियों पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि वि अ ले प) संपादित की गई थी।

#### 4.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

वि वि अ ले प के उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

<sup>3</sup> इसमें गैस आधारित विद्युत संयंत्र और स्वतंत्र विद्युत उत्पादक सम्मिलित हैं।

- बिलिंग संबंधी गतिविधियों को उ वि नि आ द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ आदेशों के साथ पठित उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) विनियम, 2020<sup>4</sup> के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया गया था।
- राजस्व वसूली से संबंधित गतिविधियां पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी थीं, और उ वि नि आ द्वारा निर्धारित संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को पूरा करने में उ पा का लि सक्षम था।
- विनियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उ पा का लि के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने के लिए एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र मौजूद है।

#### 4.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्डों के स्रोत निम्नानुसार थे:

- विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान (संशोधित),
- उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) विनियम, 2020/उ वि नि आ द्वारा समय-समय पर जारी किए गए टैरिफ आदेश
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/उ पा का लि द्वारा जारी दिशानिर्देश/निर्देश/आदेश और उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1958} अंगीकरण एवं संशोधन आदेश, 2002।

#### 4.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

बिलिंग दक्षता और राजस्व वसूली संबंधी गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, उ पा का लि कॉर्पोरेट कार्यालय के अतिरिक्त 24 क्षेत्रीय इकाइयों (वि वि म - 04, वि वि ख - 17 और वि प ख - 03) को वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की अवधि<sup>5</sup> को आच्छादित करते हुये विस्तृत जाँच के लिए चयनित किया गया।

प्रवेश गोष्ठी उ पा का लि प्रबन्धन<sup>6</sup> के साथ 16 अगस्त 2023 को आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदण्ड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली तथा लेखापरीक्षा के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, 25 जून 2024

<sup>4</sup> उ वि नि आ (विद्युत आपूर्ति कोड, नए कनेक्शन जारी करना और संबंधित मामले) विनियम, 2020।

<sup>5</sup> प्रारम्भ में, वि वि अ ले प की योजना 2020-21 से 2022-23 तक तीन वर्षों को आच्छादित करते हुये बनायी गई थी, हालाँकि, कोविड-19 महामारी की व्यापकता और प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, वर्ष 2020-21 को आच्छादन से हटा कर वर्ष 2023-24 को वि वि अ ले प में सम्मिलित किया गया है।

<sup>6</sup> प्रवेश गोष्ठी में भाग लेने के लिए उत्तराखण्ड सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था।

को आयोजित समापन गोष्ठी में उ पा का लि प्रबन्धन और उत्तराखण्ड शासन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन गोष्ठी में अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन और प्रबंध निदेशक, उ पा का लि के साथ-साथ कार्यात्मक निदेशक और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

उ पा का लि और उत्तराखण्ड शासन को मसौदा प्रतिवेदन 23 सितम्बर 2024 को प्रेषित किया गया। उ पा का लि ने 21 नवम्बर 2024 को उत्तर प्रस्तुत किए और तत्पश्चात, उत्तराखण्ड शासन ने 08 जनवरी 2025 को उ पा का लि के उत्तर का समर्थन किया। तदनुसार, इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय उत्तरों को उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

#### 4.1.6 वित्तीय मुख्यांश

उ पा का लि की 31 मार्च 2024 को समाप्त हुयी अवधि में पिछले चार वर्षों के दौरान वित्तीय स्थिति निम्नवत है:

तालिका-4.1: उ पा का लि की वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	<b>(अ) पूंजी एवं देनदारियाँ</b>				
1	चुकता पूंजी (आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन धनराशि सहित)	1,474.91	1,489.91	1,529.91	1,604.84
2	संचित लाभ (+)/हानि (-)	(-)3,851.01	(-)3,872.44	(-)5,288.07	(-)5,434.99
3	संचय और अधिशेष, संचित हानियों/ आस्थगित सरकारी अनुदानों <sup>7</sup> को छोड़कर	2,495.27	2,560.17	2,905.88	2,845.11
4	गैर-वर्तमान देनदारियाँ	1,793.57	1,491.54	1,156.58	1,546.72
5	वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	6,473.24	5,926.83	7,932.84	8,602.39
	<b>योग</b>	<b>8,385.98</b>	<b>7,596.01</b>	<b>8,237.14</b>	<b>9,164.07</b>
	<b>(ब) परिसम्पतियाँ</b>				
6	गैर- चालू परिसंपातियाँ	6,611.35	6,406.12	6,794.36	7,510.17
7	चालू परिसंपातियाँ (व्यापार प्राप्य सहित)	1,774.63	1,189.89	1,442.78	1,653.90
	<b>योग</b>	<b>8,385.98</b>	<b>7,596.01</b>	<b>8,237.14</b>	<b>9,164.07</b>
	<b>निवल मूल्य (पंक्ति 1+पंक्ति 2)</b>	<b>(-)2,376.10</b>	<b>(-)2,382.53</b>	<b>(-)3,758.16</b>	<b>(-)3,830.15</b>

स्रोत: उ पा का लि के वार्षिक वित्तीय विवरणों से संकलित आँकड़े।

उपर्युक्त तालिका-4.1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान उ पा का लि का संचित घाटा (-) ₹ 3851.01 करोड़ से बढ़कर

<sup>7</sup> इसमें पूंजीगत कार्य, उपभोक्ता अंशदान एवं अंतरण योजना के लिए अनुदान सम्मिलित है

(-) ₹ 5434.99 करोड़ (41.13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ) तथा निवल मूल्य (-) ₹ 2376.10 करोड़ से बढ़कर (-) ₹ 3830.15 करोड़ (61.19 प्रतिशत की वृद्धि के साथ) हो गया था।

#### 4.1.6.1 वित्तीय प्रदर्शन

उ पा का लि का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुयी अवधि में पिछले चार वर्षों के दौरान वित्तीय प्रदर्शन निम्नवत है:

तालिका-4.2: उ पा का लि के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
<b>राजस्व</b>					
1	संचालन से राजस्व	6,453.92	7,223.56	8554.30	9648.12
2	अन्य आय	87.68	245.56	289.13	429.76
	<b>कुल राजस्व</b>	<b>6,541.60</b>	<b>7,469.12</b>	<b>8,843.43</b>	<b>10,077.88</b>
<b>व्यय</b>					
3	विद्युत की क्रय लागत	5,574.46	6,253.33	8,633.11	8,566.36
4	मरम्मत और रखरखाव पर व्यय	194.87	228.53	312.59	380.20
5	कर्मचारी हितलाभ व्यय	356.00	338.49	458.54	427.98
6	वित्तीय लागत	189.73	203.22	217.09	297.84
7	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	230.22	253.30	456.70	509.67
8	अन्य प्रशासनिक व्यय	50.04	65.08	65.60	75.32
	<b>कुल व्यय</b>	<b>6,595.32</b>	<b>7,341.95</b>	<b>10,143.63</b>	<b>10,257.37</b>
09	असाधारण/पूर्व अवधि मदों से पहले लाभ/(हानि) (पंक्ति3 - पंक्ति10)	(-)53.72	127.17	(-)1,300.2	(-)179.49
10	असाधारण/पूर्व अवधि मदें	(-)81.44	(-)127.14	99.41	-
11	कर व्यय {आस्थगित कर परिसंपत्तियां/ (देनदारियाँ)}	(-)16.59	(-)21.45	(-)22.85	32.58
12	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (पंक्ति11+पंक्ति12+पंक्ति13)	(-)151.75	(-)21.42	(-)1,223.64	(-)146.91

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि परिचालन से राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जो वर्ष 2020-21 में ₹ 6,453.92 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 9,648.12 करोड़ हो गया। प्रमुख लागत घटक होने के कारण, विद्युत खरीद लागत ₹ 5,574.46 करोड़ (2020-21) से बढ़कर ₹ 8,566.36 करोड़ (2023-24) हो गई। इसके अतिरिक्त, उ पा का लि के समग्र वित्तीय प्रदर्शन से संकेत मिलता है कि उसे 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान घाटा हुआ था, जिसमें 2022-23 में 1,223.64 करोड़ का उच्चतम घाटा हुआ था जो मुख्यतः उस वर्ष में विद्युत की उच्च खरीद लागत के कारण हुआ।

#### 4.1.7 उ पा का लि की परिचालन प्रोफाइल

उ पा का लि की परिचालन प्रोफाइल नीचे तालिका-4.3 में दी गयी है।

तालिका-4.3: परिचालन प्रोफाइल

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति अनुसार
1.	कुल उपभोक्ता/ कनेक्शन (संख्या)	29.13 लाख
	मीटर स्थापित (संख्या)	29.13 लाख
	बिना मीटर (संख्या)	निरंक
2.	एच टी उपभोक्ता (संख्या)	6,469
3.	टर्नओवर (2023-24) (₹ में)	9648.12 करोड़
4.	उप-खण्डों की संख्या	133
5.	फीडरों की संख्या	2,562
6.	11/0.4 केवी वितरण परिवर्तक (डी टी आर) की संख्या	91,718
7.	बिना मीटर डी टी आर की संख्या	64,413
8.	लाइन की लंबाई (सर्किट किलोमीटर)	1,30,195.56

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

#### 4.1.7.1 टैरिफ आधारित वर्गीकरण

उ पा का लि ने अपने उपभोक्ताओं को ऊर्जा के उपयोग और खपत को ध्यान में रखते हुए बहुस्तरीय टैरिफ प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया है, जिसमें खपत बढ़ने के साथ दरें बढ़ती हैं। परिशिष्ट-4.1 में चर्चा के अनुसार विभिन्न टैरिफ दरों की प्रयोज्यता के संदर्भ में 31 मार्च 2024 तक के उपभोक्ताओं का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका-4.4 में दिया गया है:

तालिका-4.4: 31 मार्च 2024 तक आर टी एस-वार उपभोक्ता आधार

क्र. सं.	श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या	उपभोक्ताओं की (प्रतिशत में)
1	आर टी एस-1: घरेलू	25,24,813	86.67
2	आर टी एस-2: अघरेलू	3,14,943	10.81
3	आर टी एस-3: सरकारी सार्वजनिक इकाइयाँ	8,210	0.28
4	आर टी एस-4: निजी नलकूप	46,662	1.6
5	आर टी एस-5: एल टी एवं एच टी उद्योग	18,630	0.64
6.	अन्य (आर टी एस: 6, 7, 8 और 9)	123	--
योग		29,13,381	100

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

#### 4.1.7.2 उ पा का लि में बिलिंग एव राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया

उ पा का लि में आई टी आधारित बिलिंग प्रणाली है जिसे आर-ए पी डी आर पी के अंतर्गत लागू किया गया था। उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई ऊर्जा की बिलिंग हाथ से

चलने वाले उपकरणों (स्पॉट बिलिंग मशीनों-एस बी एम) और मीटर रीडिंग उपकरणों (एम आर आई) के माध्यम से एकत्र की गई मीटर रीडिंग पर आधारित होती है। उ पा का लि में बिलिंग और राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

उ पा का लि ऊर्जा उत्पादक कंपनियों से विद्युत खरीदता है और अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करता है

खपत और लागू टैरिफ दरों के आधार पर, उ पा का लि के संबंधित वि वि ख उपभोक्ताओं को मासिक विद्युत बिल देते हैं

बिल का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना है, साथ ही 15 दिनों की अतिरिक्त छूट अवधि भी दी जानी है। यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उ पा का लि अस्थायी रूप से आपूर्ति काट (टी डी) सकता है।

यदि टी डी के छः महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उ पा का लि आपूर्ति को स्थायी रूप से काट सकता है और भू-राजस्व के रूप में बकाया राशि की वसूली के लिए जिला प्राधिकारियों को वसूली प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

विनियामक आवश्यकताओं के अंतर्गत, उ पा का लि ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उ शि नि मं) की स्थापना की है, जो उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार है, जिसके आठ<sup>8</sup> प्रमुख स्थानों पर नियमित/प्रधान कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, यदि पीड़ित उपभोक्ता उ शि नि मं के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के प्रावधान के अंतर्गत उ वि नि आ द्वारा नियुक्त विद्युत लोकपाल के पास अपील कर सकता है।

#### 4.1.7.3 उ पा का लि की ऊर्जा प्रोफाइल

उ पा का लि की ऊर्जा प्रोफाइल मुख्य रूप से अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ऊर्जा खरीद, उपभोक्ताओं को वितरित और विक्रय की गई ऊर्जा का विवरण प्रदान करती है। उ वि नि आ द्वारा बिलिंग दक्षता, वितरण हानि और संग्रहण दक्षता जैसे दक्षता मानकों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

*बिलिंग दक्षता*<sup>9</sup> ऊर्जा के अनुपात का एक संकेतक है जिसे किसी क्षेत्र में आपूर्ति की गई ऊर्जा के संबंध में उपभोक्ताओं को बिल किया गया है (इसमें मापित और अमापित बिक्री दोनों सम्मिलित हैं), जबकि *संग्रहण दक्षता*<sup>10</sup> उपभोक्ताओं को दी गई बिल राशि के मुकाबले उनसे एकत्रित की गई राशि के अनुपात का सूचक है। *बिलिंग/संग्रहण दक्षता* निर्धारित सीमा से कम होना दर्शाता है कि वितरण कंपनी (डिस्कॉम) को लीकेज रोककर

<sup>8</sup> देहरादून, श्रीनगर (गढ़वाल), हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग और अल्मोड़ा।

<sup>9</sup> बिलिंग दक्षता = उपभोक्ताओं को बिल की गई कुल ऊर्जा (कि वा)/कुल ऊर्जा इनपुट (कि वा)।

<sup>10</sup> संग्रहण दक्षता = एकत्रित राजस्व (₹ में)/बिल की गई राशि (₹ में)।

व दक्षता विकसित करके तथा राजस्व वसूली के तरीकों और प्रथाओं में सुधार करके बिलिंग के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

उ पा का लि की ऊर्जा प्रोफाइल में ऊर्जा का क्रय/बिल, बिलिंग दक्षता और वितरण हानियों का विवरण नीचे तालिका-4.5 में दिया गया है:

तालिका-4.5: उ पा का लि की ऊर्जा प्रोफाइल

क्र. सं.	विवरण	2020-21 <sup>11</sup>	2021-22	2022-23	2023-24
1	क्रय की गई ऊर्जा (मि इ <sup>12</sup> में)	13,287.59	14,581.68	15,757.27	16,108.90
2	उ वि नि आ द्वारा अनुमन्य वितरण घाटे का प्रतिशत	14.00	13.75	13.50	13.25
3	उ वि नि आ द्वारा अनुमन्य वितरण हानि (मि इ में) (पंक्ति 1 x पंक्ति 2/100)	1,860.26	2,004.98	2,127.23	2,134.43
4	उ वि नि आ के अनुसार बिलिंग के लिए उपलब्ध ऊर्जा (मि इ में) (पंक्ति 1 में पंक्ति 3 घटाकर)	11,427.33	12,576.70	13,630.04	13,974.47
5	विक्रय की गयी ऊर्जा (मि इ में)	11,432.59	12,518.80	13,491.22	13,870.71
6	बिलिंग दक्षता (प्रतिशत में) (पंक्ति 5/पंक्ति 1 x100)	86.04	85.85	85.62	86.11
7	वितरण हानि (प्रतिशत में) (100 - पंक्ति 6)	13.96	14.15	14.38	13.89
8	अनुमत सीमा से अधिक वितरण हानि (मि इ में) (पंक्ति 4- पंक्ति 5)	-5.26	57.90	138.82	103.76
9	व्यय सहित विद्युत खरीद की लागत (₹ करोड़ में)	6,605.67	7,244.98	9777.94	9824.85
10	विद्युत की बिक्री (₹ करोड़ में)	6,453.92	7,223.56	8554.30	9648.12
11	विक्रय की गई विद्युत की लागत प्रति यूनिट (₹ में) (पंक्ति 9/पंक्ति 5)	5.78	5.79	7.25	7.08
12	विक्रय की गई विद्युत की प्रति यूनिट बिक्री (₹ में) (पंक्ति 10/ पंक्ति 5)	5.65	5.77	6.34	6.96
13	विक्रय की गई प्रति इकाई शुद्ध लाभ/ हानि (-) (पंक्ति 12- पंक्ति 11)	-0.13	-0.02	-0.91	-0.12


स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21, जो कोविड-19 महामारी से काफी हद तक प्रभावित था, के दौरान उ पा का लि वितरण हानि लक्ष्यों को पूर्ण करने में सक्षम था और उ वि नि आ द्वारा निर्धारित 14 प्रतिशत की लक्ष्य सीमा के मुकाबले यह

<sup>11</sup> वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण हुई कठिनाइयों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उ पा का लि वितरण हानि लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था, वर्ष 2020-21 को आगामी विश्लेषण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

<sup>12</sup> मिलियन इकाई में।

13.96 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान वितरण हानियों के लक्ष्यों के सापेक्ष तिमाही उपलब्धियों की स्थिति नीचे चार्ट-4.2 में दर्शाई गई है:



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि, वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, उ पा का लि ने निर्धारित वितरण हानि के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया, जो 0.40 प्रतिशतता अंकों से 0.88 प्रतिशतता अंकों की कमी दर्शाता है। परिणामस्वरूप, उ पा का लि को वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान वितरण हानि की अनुमन्य सीमा से अधिक ₹ 156.07 करोड़<sup>13</sup> मूल्य की 300.48 मि इ ऊर्जा की अधिक हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि चार्ट-4.2 में उल्लेखित है, उ वि नि आ वितरण हानि लक्ष्यों की तुलना में उ पा का लि की उपलब्धियां चक्रीय प्रकृति की थी। यह मुख्य रूप से उ पा का लि द्वारा उपरोक्त वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में बिलिंग और राजस्व वसूली पर अतिरिक्त अभियान चलाये जाने के कारण था।

#### 4.1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष


लेखापरीक्षा निष्कर्षों को व्यापक रूप में तीन भागों में विभाजित किया गया है, यथा (1) बिलिंग दक्षता से संबंधित मामले; (2) राजस्व वसूली से संबंधित मामले; (3) आंतरिक नियंत्रण और निगरानी संबंधी मामले।

<sup>13</sup> 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए क्रमशः ₹ 4.29 प्रति इकाई, ₹ 5.48 प्रति इकाई और ₹ 5.32 प्रति इकाई की गणना की गई।

#### 4.1.8.1 बिलिंग दक्षता

बिलिंग दक्षता किसी क्षेत्र में आपूर्ति की गई ऊर्जा के सापेक्ष उपभोक्ताओं को किए गए बिल (इसमें मापित और अमापित विक्रय दोनों सम्मिलित हैं) के रूप में ऊर्जा के अनुपात को संदर्भित करती है। बिलिंग दक्षता तथा वितरण हानि एक दूसरे से विपरीत रूप से संबंधित हैं। उच्च वितरण हानियाँ कम बिलिंग दक्षता और इसके व्युत्क्रम को इंगित करती हैं।

अभिलेखों से इंगित होता है कि उ पा का लि वर्ष 2020-21 को छोड़कर, उ वि नि आ द्वारा निर्धारित वितरण हानि लक्ष्यों के सापेक्ष बिलिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल था, जैसा कि नीचे चार्ट-4.3 में दर्शाया गया है:



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि बिलिंग दक्षता प्रत्येक साल दिसम्बर और मार्च के मध्य लक्ष्यों के निकट रही, हालाँकि, अप्रैल-जून की अवधि के दौरान, बिलिंग दक्षता में तेजी से गिरावट आई जो प्रत्येक साल सितम्बर तक बनी रही।

वितरण घाटे को नियंत्रित करने सहित मीटर रीडिंग से लेकर बिल सृजन तक बिलिंग प्रक्रिया को स्वचालित करना, बिलिंग दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी थी। अधिक बिलिंग दक्षता प्राप्त करने के लिए, स्मार्ट मीटर का कार्यान्वयन, आवश्यक उपायों में से एक था। हालाँकि, स्मार्ट मीटर परियोजना को लागू करने में काफी विलंब हुआ। 15.87 लाख स्मार्ट मीटरों को बदलने/लगाने के लिए निविदा दिसम्बर 2022 में आमंत्रित की गई थी, लेकिन कार्यादेश दिसम्बर 2023 में आवंटित किया गया और तदोपरांत

मार्च 2024 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन में विलंब के परिणामस्वरूप 15.87 लाख स्मार्ट मीटरों के सापेक्ष मात्र 60,514 स्मार्ट मीटर लगाए गए (31 मार्च 2025 तक)।

इस प्रकार, बिलिंग दक्षता उ वि नि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम रही और मुख्य रूप से वितरण घाटे के कारण 2020-21 से 2023-24 के दौरान 86.04 प्रतिशत से 86.11 प्रतिशत तक रही (तालिका-4.5)। वितरण हानियों के आगे के विश्लेषण पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है:

**(i) विद्युत की चोरी के कारण ₹ 156.07 करोड़ मूल्य की ऊर्जा हानि**

विद्युत क्षेत्र में, वितरण हानियों को वितरण उपयोगिताओं के निष्पादन के मापन के लिए एक प्रमुख मानदण्ड के रूप में जाना जाता है। यह प्राप्त ऊर्जा और उपभोक्ता को बिल की गई ऊर्जा के बीच का अंतर है। जैसा कि प्रस्तर-4.1.7.3 में चर्चा की गई है, उ पा का लि को वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान ₹ 156.07 करोड़ मूल्य की 300.48 मि इ ऊर्जा की हानि हुई। वि वि म /वि वि ख स्तर पर ऊर्जा की हानि का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:


**(क) वि वि म स्तर पर वितरण हानियाँ**

उ वि नि आ ने वर्ष 2023-24 के दौरान वितरण हानि के लिए 13.25 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया था। वि वि म स्तर पर वितरण घाटे का विश्लेषण यह प्रदर्शित करता है कि 13 वि वि म में से छः<sup>14</sup> वि वि म ने 6.49 प्रतिशत से 11.87 प्रतिशत के मध्य वितरण हानि दर्ज करते हुये लक्ष्यों को पूरा किया। तदनुसार, वे लक्ष्यों की तुलना में अतिरिक्त 374.682 मि इ ऊर्जा का बिल करने में सक्षम थे। शेष सात<sup>15</sup> वि वि म 19.65 प्रतिशत और 26.39 प्रतिशत के मध्य वितरण घाटे के साथ लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके, जिससे लक्ष्य के सापेक्ष बिल योग्य ऊर्जा में 478.446 मि इ की हानि हुई। खराब प्रदर्शन के कारण 103.764 मि इ ऊर्जा (478.446 - 374.682) की शुद्ध हानि हुई।


इन सात वि वि म में से, अधिकतम वितरण हानि वाले पाँच वि वि म को नीचे चार्ट-4.4 में दर्शाया गया है:

<sup>14</sup> वि वि म ने लक्ष्य की तुलना में कुल 374.682 मिलियन इकाई अतिरिक्त ऊर्जा को बिल किया- देहरादून शहरी (81.383), देहरादून ग्रामीण (81.688), श्रीनगर (37.620), हरिद्वार (36.243), काशीपुर (90.203), और रुद्रपुर (47.545)।

<sup>15</sup> वि वि म (लक्ष्य की तुलना में कुल 478.446 मि इ की हानि) - टिहरी (48.368), कर्णप्रयाग (16.234), रुड़की (339.479), हल्द्वानी (9.886), रानीखेत (28.344), पिथौरागढ़ (22.610), और चंपावत (13.525)।



यह देखा जा सकता है कि पाँच में से चार वि वि म पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ सामान्यतः कठिन भौगोलिक क्षेत्र और उपभोक्ताओं के कम घनत्व के कारण हानि को अधिक माना जाता है। पाँचवां अर्थात् वि वि म रुड़की, मैदानी क्षेत्र में स्थित है, जो कि 2021-24 की अवधि के दौरान 964.465 मि इ के वितरण हानि के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रहा है, जैसा कि नीचे चार्ट-4.5 दर्शाया गया है:



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि वि वि म में से वि वि म रुड़की को सबसे अधिक हानि हो रही थी, जो शीर्ष पाँच वि वि म द्वारा की गयी कुल हानि के 69 प्रतिशत और 74 प्रतिशत के मध्य थी।

इसके अतिरिक्त, विश्लेषण से पता चला है कि वि वि म रुड़की के संबंध में वितरण हानि बढ़ती प्रवृत्ति में थी जो 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान 291 मि इ से 339 मि इ हो गयी थी। वि वि म रुड़की में वितरण हानि का वित्तीय प्रभाव निम्नानुसार ₹ 488.50 करोड़ आगणित किया गया था:

तालिका-4.6: वि वि म रुड़की में ऊर्जा की हानि की लागत

वर्ष	हानि की अनुमन्य सीमा से अधिक ऊर्जा की हानि (मि इ में)	औसत विद्युत खरीद लागत (औ वि ख ला) प्रति यूनिट (₹ में)	हानि की अनुमन्य सीमाओं से अधिक वितरण हानि (₹ करोड़ में)
2021-22	290.657	4.29	124.69
2022-23	334.329	5.48	183.21
2023-24	339.479	5.32	180.60
<b>योग</b>	<b>964.465</b>	<b>--</b>	<b>488.50</b>

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह स्पष्ट है कि अकेले वि वि म रुड़की को 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 488.50 करोड़ लागत की 964.465 मि इ ऊर्जा की हानि हुई। वि वि म रुड़की में भगवानपुर, रुड़की ग्रामीण, रुड़की शहरी और रुड़की रामनगर नाम से चार वि वि ख सम्मिलित हैं, जिनमें से भगवानपुर की वितरण हानि अनुमन्य सीमा के निकट थी, हालाँकि, अन्य तीन वि वि ख के संबंध में यह उपरोक्त अवधि के दौरान 27.34 प्रतिशत से 34.83 प्रतिशत के मध्य रहा जो कि उ पा का लि के सभी वि वि ख में से मात्र तीन<sup>16</sup> वि वि ख को छोड़कर, सबसे अधिक रहा।

इसके अतिरिक्त, अन्य चार वि वि म द्वारा 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान की गई ऊर्जा हानि की लागत ₹ 177 करोड़ (वि वि म: टिहरी- ₹ 72 करोड़, पिथौरागढ़- ₹ 43 करोड़, रानीखेत- ₹ 31 करोड़ और कर्णप्रयाग- ₹ 31 करोड़) आंकलित की गई थी। उपर्युक्त वितरण हानियों का मुख्य कारण विद्युत की चोरी थी।


#### (ख) वि वि ख स्तर पर वितरण हानियाँ

वि वि ख स्तर पर वितरण हानियों का विश्लेषण बताता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान 46 वि वि ख में से 19 वि वि ख 13.25 प्रतिशत की वितरण हानि लक्ष्यों को पूरा

<sup>16</sup> वि वि ख बागेश्वर, वि वि ख धारचूला और वि वि ख नारायणबगड़ (वितरण हानियाँ 26.60 प्रतिशत से 37.86 प्रतिशत के मध्य)।

करने में सक्षम थे, हालाँकि, 10 वि वि ख को 13.26 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक वितरण हानि हुई और 17 वि वि ख को 20 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई (परिशिष्ट-4.2)।

वितरण खण्डों के बीच, वि वि म रुड़की के अंतर्गत वि वि ख में उच्च वितरण हानि थी जैसा कि पिछले प्रस्तर में चर्चा की गई थी। 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान 45.445 मि इ से 172.164 मि इ तक के उच्च वितरण हानि को प्रदर्शित करने वाले शीर्ष पाँच वि वि ख नीचे चार्ट-4.6 में दर्शाए गए हैं:



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

आगे समीक्षा से पाया गया कि उच्च वितरण हानि का मुख्य कारण विद्युत की चोरी थी और यह चोरी संबन्धित प्रक्रिया को रोकने के निवारक उपायों के अभाव के साथ जुड़ा हुआ था। समर्पित पुलिस स्टेशनों और अदालतों के रूप में सशक्त सतर्कता और प्रशासनिक समर्थन तंत्र गठित कर इस परिस्थिति से निपटा जा सकता है।

इन पाँच शीर्ष वि वि ख में ऊर्जा की हानि (औ वि ख ला पर आधारित) का प्रभाव नीचे तालिका-4.7 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका-4.7: शीर्ष पाँच वि वि ख में ऊर्जा की हानि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वि वि ख/वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	योग
1	रूड़की ग्रामीण	68.97	91.40	91.59	251.96
2	रूड़की शहरी	35.70	50.80	48.25	134.75
3	लक्सर	31.20	43.85	46.68	121.73
4	रुद्रपुर-II	29.51	39.80	29.52	98.83
5	रूड़की रामनगर	19.50	32.50	36.80	88.80
	<b>योग</b>	<b>184.88</b>	<b>258.35</b>	<b>252.84</b>	<b>696.07</b>

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उ पा का लि के प्रदर्शन पर एक अध्ययन रिपोर्ट (मार्च 2024) में भी इन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और किए जाने वाले उपायों पर जोर दिया गया।

#### उ पा का लि के प्रदर्शन रूपान्तर पर अध्ययन रिपोर्ट

उ पा का लि के प्रदर्शन रूपान्तर पर उत्तराखण्ड सरकार के चर्चा दस्तावेजों (मार्च 2024) में अन्य बातों के साथ-साथ स्वीकार किया गया कि हरिद्वार और उ सि नगर में कुल ऊर्जा के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से की ऊर्जा हानि है तथा उ पा का लि के रूपांतर के लिए आवश्यक संभावित समाधानों/निर्णयों पर चर्चा की गई। समिति ने परिचालन संबंधी रिसाव को रोकने के लिए वितरण हानि पर नियंत्रण, विद्युत खरीद लागत को अनुकूलन करने और अनुदानों एवं ऋण/ऋण को पूंजी में बदलने की वकालत की है।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि उ पा का लि नियमित रूप से हरिद्वार और उधम सिंह नगर (उ सि नगर) जिलों में बिलिंग दक्षता, संग्रहण दक्षता और वितरण हानि पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि ये जिले घनी आबादी वाले और औद्योगिक हैं तथा विक्रय की गयी ऊर्जा का लगभग 60 प्रतिशत उपभोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, अच्छा प्रदर्शन न करने वाले मंडलों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। सुचारु कार्य प्रणाली और विभिन्न मापदंडों पर बेहतर नियंत्रण के लिए, नए वितरण खण्डों के साथ-साथ मंडल कार्यालय भी सृजित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ पा का लि द्वारा वितरण घाटे को रोकने के लिए मार्च 2024 की उत्तराखण्ड शासन की अध्ययन रिपोर्ट पर जनवरी 2025 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, वि वि म स्तर (विशेष रूप से वि वि म रूड़की) और अन्य वि वि ख पर उल्लेखनीय वितरण हानियाँ होने के बावजूद, उ पा का लि ने इन हानियों को रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की, जैसा कि उपरोक्त अध्ययन रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है।

(ii) सतर्कता प्रकोष्ठ में मानव शक्ति/पुलिस कार्मिकों की कमी

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के साथ पठित उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खण्ड 7.2.1, उ पा का लि को विद्युत के अनधिकृत उपयोग/चोरी का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं के परिसर की जाँच/निरीक्षण करने का अधिकार देती है।

उत्तराखण्ड सरकार ने परिपत्र (06 अक्टूबर 2004) के द्वारा 44 अस्थायी पदों के सृजन के लिए स्वीकृति प्रदान की, जिसमें छापेमारी और राजस्व निरीक्षण विभाग (आर आर आई डी) के लिए 11 अधिकारी/ कर्मचारी जिसमें उप महाप्रबंधक/अधीक्षक अभियंता रैंक-01; अधिशासी अभियंता (अ अ) - 02, सहायक अभियंता (स अ) - 04 और कनिष्ठ अभियंता (क अ) - 04 सम्मिलित हैं। आर आर आई डी की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी कि (1) सभी राजस्व इकाइयों का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जा सके, (2) छापेमारी/ निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं के सापेक्ष आकलन और वसूली की पहचान की जा सके, (3) उच्च प्रबंधन के आदेश के अनुसार उपभोक्ता परिसरों पर छापे/ निरीक्षण की व्यवस्था की जा सके, और (4) औचक जाँच और निरीक्षण किए जा सके।

अभिलेखों से पता चला कि कि आर आर आई डी का गठन ही नहीं किया गया। हालाँकि, एक सतर्कता प्रकोष्ठ मौजूद है, जिसके लिए पुलिस विभाग से आठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदन (नवम्बर 2018) प्रदान किया गया था। सतर्कता प्रकोष्ठ, उ पा का लि की तकनीकी जनशक्ति और राज्य पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करता है।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के अंत तक सतर्कता प्रकोष्ठ में स्वीकृत संख्या के सापेक्ष पुलिस अधिकारियों की तैनाती का विवरण नीचे तालिका-4.8 में दिया गया है:

तालिका-4.8: सतर्कता प्रकोष्ठ में मानव शक्ति की तैनाती का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	तैनाती (मार्च के अंत तक)			रिक्त पद (मार्च 2024)
			2022	2023	2024	
1	डी आई जी /एस एस पी	01	01	01	01	--
2	डिप्टी एस पी	01	00	00	00	01
3	इंस्पेक्टर	02	03	02	02	--
4	सब-इंस्पेक्टर	04	00	00	00	04
<b>योग</b>		<b>08</b>	<b>04</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>05</b>

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सतर्कता प्रकोष्ठ में पुलिस मानवशक्ति की तैनाती में उल्लेखनीय कमी (63 प्रतिशत) थी (31 मार्च 2024) तथा 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान उप पुलिस अधीक्षक और उप निरीक्षकों के पद रिक्त रहे। अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ है कि सतर्कता प्रकोष्ठ में, विशेषतौर से घरेलू उपभोक्ताओं के परिसरों हेतु महिला पुलिस अधिकारियों (उप निरीक्षकों और कांस्टेबलों) की तैनाती भी छापेमारी के लिए नहीं की गई। सतर्कता प्रकोष्ठ से जुड़े उ पा का लि अधिकारियों का विवरण नीचे तालिका-4.9 में दिया गया है:

तालिका-4.9: सतर्कता प्रकोष्ठ में जनशक्ति की तैनाती का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	तैनाती (मार्च के अंत तक)		
		2022	2023	2024
1	अधिशायी अभियंता	02	02	02
2	सहायक अभियंता	04	03	04
3	कनिष्ठ अभियंता	--	--	--
<b>योग</b>		<b>06</b>	<b>05</b>	<b>06</b>

यह देखा जा सकता है कि आर आर आई डी के लिए मानवशक्ति की स्वीकृत संख्या और सतर्कता प्रकोष्ठ की मानवशक्ति को संदर्भित करते हुए, समग्र तैनाती वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत मात्र रही, जिसमें दल में कोई भी कनिष्ठ अभियंता नहीं थे।

परिणामस्वरूप, सतर्कता छापों के लक्ष्य कम प्राप्त किए गए जिसका विवरण निम्न तालिका-4.10 में दिया गया है:

तालिका-4.10: सतर्कता छापे-लक्ष्य बनाम उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य	छापों की संख्या	उपलब्धि की प्रतिशतता	विद्युत चोरी के मामले	टिप्पणियाँ
2020-21	4,800	3,303	68.81	2,335	निगरानी छापों के परिणामस्वरूप दर्ज की गई एफ आई आर, किए गए मूल्यांकन, वसूली की गई राशि आदि का ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।
2021-22	4,800	3,266	68.04	2,289	
2022-23	4,800	4,143	86.31	2,972	
2023-24	4,800	4,103	85.48	2,531	
<b>योग</b>	<b>19,200</b>	<b>14,815</b>	<b>77.16</b>	<b>10,127</b>	

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2020-21 से 2023-24 के दौरान सतर्कता छापों के लक्ष्यों की उपलब्धि में 31.96 प्रतिशत से 13.69 प्रतिशत तक की कमी थी, जिसने विद्युत की चोरी से निपटने के लिए किए गए निवारक उपायों के निष्पादन को प्रभावित किया।

वि वि म रुड़की के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में लगातार ऊर्जा हानि, मुख्यमंत्री के निर्देश (जून 2023) और उ पा का लि दलों के साथ हाथापाई के कई प्रकरण होने के बाद भी सतर्कता प्रकोष्ठ को सशक्त न करना चिंता का विषय बना हुआ है।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग/चोरी को रोकने के लिए उ पा का लि सतर्कता इकाई को समय-समय पर सशक्त किया गया था और यह वर्तमान में एक उपयुक्त संरचना (या यथोचित मानवशक्ति<sup>17</sup>) के साथ कार्य कर रही थी। यह भी अवगत कराया कि कोविड-19 महामारी के बाद, सतर्कता अभियान 68 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2021 और 2022 में) से बढ़कर 86 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2023 में) हो गया है। मार्च 2023 में अतिरिक्त सहायक अभियंताओं की तैनाती के बाद सतर्कता जाँच 86 प्रतिशत से बढ़कर 104 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में) हो गई है। 2,400 छापों के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान 1,575 एफ आई आर के साथ 2,517 छापे मारे गए हैं।

लेखापरीक्षा ने सतर्कता छापों/ जाँच की संख्या में सुधार और सतर्कता प्रकोष्ठ की जनशक्ति में वृद्धि को स्वीकार किया। हालाँकि, सतर्कता संबंधी गतिविधियों के प्रभावी नियंत्रण, कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों और उ पा का लि मानवशक्ति सहित एक सु-संरचित सतर्कता प्रकोष्ठ आवश्यक है।

### **(iii) ऊर्जा की चोरी/छुट-पुट चोरी को रोकने के लिए प्रशासनिक समर्थन का अभाव**

नीति आयोग<sup>18</sup> ने (अगस्त 2021) कहा कि डिस्कॉम को कानूनी और प्रशासनिक विवादों को निपटाने के लिए पुलिस और अदालतों के रूप में सरकारी मशीनरी के सहारे की आवश्यकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार से इस तरह के समर्थन के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात और मणिपुर में चोरी के कारण होने वाली हानि में भारी कमी आई है।

आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने चोरी-रोधी कानून बनाए हैं और उनमें से कई ने विशेष अदालतें और समर्पित पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं। इन राज्यों में विद्युत चोरी के मामलों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।

इससे पहले, वितरण हानि न्यूनीकरण रणनीतियों पर नियामकों<sup>19</sup> के फोरम (नि फो) के प्रकाशन (सितम्बर 2008) में, अन्य बातों के साथ-साथ, तकनीकी हस्तक्षेप के साथ-साथ प्रशासनिक/ शासन उपायों के साथ एक बहु-दीर्घकालिक

<sup>17</sup> अधिशासी अभियंता- 02; सहायक अभियंता- 05; सुरक्षा कर्मी - 09, और कार्मिक - 05 ।

<sup>18</sup> विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार पर रिपोर्ट; सीख और सर्वोत्तम अभ्यास।

<sup>19</sup> विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसरण में 16 फरवरी 2005 की अधिसूचना द्वारा नियामकों के फोरम (नि फो) का गठन किया गया था।

रणनीति की वकालत की गई थी और विद्युत की चोरी को सबसे बड़ी समस्या के रूप में स्वीकार किया गया था तथा इसे सख्ती से निपटने और निवारक प्रभाव वाली कार्रवाइयों की परिकल्पना की गई थी।

वितरण हानि न्यूनीकरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों पर एक अन्य प्रकाशन (जुलाई 2016) में, नियामकों के फोरम ने सलाह दी कि डिस्कॉम को सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अपने संसाधनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समर्पित पुलिस स्टेशनों और अदालतों की स्थापना जैसी प्रशासनिक पहल सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा में इस संबंध में निम्न बिन्दुओं पर पाया कि:

राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक (जून 2023) में, अन्य बातों के साथ-साथ, हरिद्वार और उ सि नगर जिलों में विद्युत चोरी को रोकने के लिए सतर्कता टीम को मजबूत करने और समर्पित विद्युत पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने और विद्युत चोरी को रोकने के लिए सतर्कता दलों के प्रयासों की मासिक समीक्षा करने के निर्देश दिए।

- सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समर्पित विद्युत पुलिस स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देशों (अक्टूबर 2019) के अनुपालन में, एस एस पी (सतर्कता) ने दो जिलों, हरिद्वार और उ सि नगर जहाँ फीडर स्तर पर वितरण हानि सबसे अधिक 63.52 प्रतिशत से 77.80 प्रतिशत के मध्य रही, को चिन्हित किया।

- तदनुसार, उ पा का लि ने (जुलाई 2020) दोनों जिलों अर्थात् हरिद्वार और उ सि नगर, प्रत्येक में समर्पित पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार को विस्तृत प्रस्ताव भेजा था। आगे यह भी विचार किया गया था कि अलग-अलग पुलिस स्टेशनों की स्थापना से इन क्षेत्रों में विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरणों से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने में सुविधा होगी। हालाँकि, बाद में सरकार के साथ इस मामले पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई किया जाना नहीं पाया गया।
- दो सर्वाधिक प्रभावित जिलों में समर्पित पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पाँच साल से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी, वर्तमान तक (जनवरी 2025) समर्पित विद्युत पुलिस स्टेशनों की स्थापना की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।



- परिणामस्वरूप, उक्त जिलों में वितरण हानि उच्च बनी हुई है जैसा कि प्रस्तर-4.1.8.1 में चर्चा की गयी है। अभिलेखों से यह भी पता चला कि वि वि म रुड़की को छापेमारी के दौरान चिन्हित किए गए चोरी के मामलों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि स्थानीय पुलिस ने जनशक्ति की कमी का हवाला देते हुए सहयोग नहीं किया। इसके अतिरिक्त, चोरी के प्रकरणों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था।
- वि वि म रुड़की के अधिकार क्षेत्र में चोरी की स्थिति को इस तथ्य के प्रकाश में समझा जा सकता है कि

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान ₹ 1.52 करोड़ मूल्य के 104 ट्रांसफार्मर चोरी हो गए।

- रुड़की के चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में उ पा का लि के अधिकारियों के साथ कठोर व्यवहार/शारीरिक हमला/मारपीट की घटनायें संज्ञान में आयी हैं। प्रिंट मीडिया भी उ पा का लि सतर्कता दलों के साथ हमले/मारपीट के प्रकरणों को प्रकाशित करता रहा है।

इस संबंध में, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में समर्पित पुलिस स्टेशन की स्थापना के माध्यम से विद्युत चोरी से निपटने में सुधार के प्रभाव पर नीचे चर्चा की गई है:

**उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समर्पित विद्युत पुलिस स्टेशनों की स्थापना**

उत्तराखण्ड के पड़ोसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों ने विद्युत की चोरी और अनधिकृत उपयोग के खतरे को रोकने के लिए समर्पित पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश राज्य में समर्पित पुलिस स्टेशनों की स्थापना ने यू पी पी सी एल को (1) तुरंत एफ आई आर दर्ज करवाने, (2) जाँच में समयबद्धता को कम करने और पंजीकृत मामलों की मजबूत अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी, (3) कुल ₹ 41.00 करोड़ की स्थापना लागत के सापेक्ष ₹ 47.52 करोड़ (कुल एफ आई आर मूल्य का 12.28 प्रतिशत) का उच्च राजस्व संग्रहण करने में सहायता की है। (पुलिस स्टेशनों में दर्ज एफ आई आर का पंजीकृत मूल्य ₹ 402.27 करोड़ है जो दिसम्बर 2020 तक न्यायालय में लंबित/विवादित थे)। (4) वर्ष 2017 से 2020 के दौरान छापेमारी के प्रतिशतता के रूप में विद्युत

चोरी के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है जो क्रमशः 65.97 प्रतिशत से घटकर 47.92 प्रतिशत हो गई है, और (5) अपराधियों के केंद्रीकृत आंकड़े।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि 22 जुलाई 2024 को शासन स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान इस मामले पर फिर से चर्चा की गई, जिसमें उ पा का लि ने विद्युत चोरी के मामलों की एफ आई आर दर्ज न करने का मुद्दा उठाया और समर्पित पुलिस स्टेशन स्थापित करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, उ पा का लि ने हरिद्वार और उ सि नगर जिलों में समर्पित पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार से पुनः अनुरोध किया (04 नवम्बर 2024)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हरिद्वार और उ सि नगर जिलों में समर्पित पुलिस स्टेशन अभी तक स्थापित नहीं किए गए थे (जनवरी 2025)।

**(iv) एन ए/एन आर /दोषपूर्ण मीटरों के कारण निरंतर अनंतिम बिलिंग**

**अनंतिम बिलिंग** एक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें यदि मीटर दोषपूर्ण<sup>20</sup> पाया जाता है/रिपोर्ट किया जाता है (आई डी एफ/ए डी एफ/आर डी एफ) तो पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत तथा यदि मीटर पहुंच योग्य नहीं है/रीडिंग नहीं ली जा सकी है (एन ए/एन आर) तो पिछले बारह बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर बिल तैयार किया जाता है।

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खण्ड 5.1.4 और 5.1.2 के अनुसार उ पा का लि को मीटरों का रखरखाव करना है और उन्हें हर समय चालू हालत में रखना है और मीटर के दोषपूर्ण/अटकने/रोके जाने/जलने/चोरी होने संबंधी पाये जाने या रिपोर्ट किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर दोषपूर्ण मीटरों को बदलना सुनिश्चित करना होगा। इसके अतिरिक्त, मीटर के दोषपूर्ण होने या पहुंच योग्य न होने या जहाँ रीडिंग नहीं ली जा सकी हो, के मामले में खण्ड 5.2.1 के अंतर्गत उ पा का लि को अधिकतम दो बिलिंग चक्रों के लिए अनंतिम आधार पर बिल बनाने का आदेश दिया गया है। इसके बाद, उ पा का लि को अनंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं है।

<sup>20</sup> दोषपूर्ण मीटरों को चिन्हित दोषपूर्ण मीटर (आई डी एफ), दोषपूर्ण प्रतीत होने वाले मीटर (ए डी एफ), रीडिंग दोषपूर्ण मीटर (आर डी एफ) और दुर्गम श्रेणी अर्थात् अनुपलब्ध (एन ए) और नहीं पढ़े जाने वाले (एन आर) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक उ पा का लि के पास 1,13,273 ऐसे उपभोक्ता थे जिनके मीटर एन ए/एन आर/दोषपूर्ण थे और जिन्हें दो से अधिक लगातार बिलिंग चक्रों के लिए बिल भेजे गए थे।

एन ए/ एन आर उपभोक्ताओं और दोषपूर्ण मीटरों के संबंध में अनंतिम बिलिंग का विवरण नीचे तालिका-4.11 में दिया गया है:

तालिका-4.11: विनियामक मानदंडों से अधिक अनंतिम बिलिंग

(₹ करोड़ में)

बिलिंग चक्र	एन ए/एन आर		दोषपूर्ण मीटर		कुल	
	उपभोक्ताओं की संख्या	मार्च 2024 को बकाया राशि	उपभोक्ताओं की संख्या	मार्च 2024 को बकाया राशि	उपभोक्ताओं की संख्या	मार्च 2024 को बकाया राशि
3-12	26,082	55.65	43,544	98.30	69,626	153.95
13-24	6,974	29.86	12,573	68.09	19,547	97.95
25-36	2,739	17.47	5,435	35.06	8,174	52.53
37-48	968	7.44	5,611	29.91	6,579	37.35
49-60	327	3.15	4,837	20.20	5,164	23.35
61 व उससे अधिक	177	1.97	4,006	18.27	4,183	20.24
<b>योग</b>	<b>37,267</b>	<b>115.54</b>	<b>76,006</b>	<b>269.83</b>	<b>1,13,273</b>	<b>385.37</b>

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 1,13,273 उपभोक्ताओं को दो बिलिंग चक्रों की निर्धारित सीमा के बाद भी अनंतिम आधार पर बिल भेजा गया था और इसमें से 24,100 उपभोक्ताओं को (₹ 133.47 करोड़ की तदनुसूची बकाया राशि के साथ) 24 से अधिक बिलिंग चक्रों अर्थात् दो वर्षों से अधिक के लिए अनंतिम बिलिंग की गई थी।

लेखापरीक्षा ने अनंतिम बिलिंग के ऐसे 10 प्रकरणों (परिशिष्ट-4.3) को देखा गया जिन्हें उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उ शि नि मं)/लोकपाल के समक्ष लाया गया था और सभी मामलों के संबंध में अनंतिम बिलिंग्स को विनियामक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि उ पा का लि को दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए अनंतिम आधार पर बिल बनाने का अधिकार नहीं था। लोकपाल ने परिशिष्ट-4.3 के क्रम संख्या 2, 3, 5 पर तीन मामलों में आदेश पारित करते हुए यह भी कहा कि ऐसे बिलों की लागत को दोषी कर्मचारियों से वसूलना उचित होगा। हालाँकि, इस संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं पायी गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रबंधन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए (मई 2024) कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए अनंतिम विद्युत बिल जारी नहीं किए जाने चाहिए।

**(v) गैर-एन ए बी एल मान्यता प्राप्त जाँच मीटर का उपयोग**

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 के खण्ड 3.1.1 के अनुसार उ पा का लि को के वि प्रा (मीटरों की स्थापना एवं संचालन) विनियम, 2006 की आवश्यकताओं के अनुरूप ऊर्जा मीटरों का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि लाइसेंसधारी उचित संख्या में मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा या अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग करेगा। उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खंड 5.1.3 में भी यही प्रावधान दोहराया गया है।

यह संज्ञान में आया कि 2020 तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई थी। विद्युत लोकपाल ने मीटर परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता की आवश्यकता के संबंध में उ पा का लि को पुनः अवगत किया (दिसम्बर 2020), तत्पश्चात्, उ पा का लि के प्रबंध निदेशक और सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार से पत्राचार किए। यह भी सलाह दी गई कि जब तक उ पा का लि प्रयोगशालाओं को मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक मीटरों, कम से कम एच टी मीटरों को मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षण कराने के लिए अन्य राज्यों के नजदीकी विद्युत निगमों की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सेवाएं ली जा सकती हैं।

एन ए बी एल मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं के अभाव/विलंबित मान्यता के कारण, वि प ख द्वारा स्थापित किए गए चेक/संदर्भ मीटर एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित नहीं थे। इससे उपभोक्ताओं के साथ विवाद हुये, जो सी जी आर एफ और विद्युत लोकपाल स्तर तक पहुँच गए। आठ मामलों (परिशिष्ट-4.4) में विद्युत लोकपाल ने उ पा का लि द्वारा उठाए गए ₹ 2.79 करोड़ के मूल्यांकन/ संशोधित बिलों को अमान्य कर दिया और फरवरी 2022 से जुलाई 2023 के दौरान जारी अपने विभिन्न आदेशों के माध्यम से सी जी आर एफ के आदेशों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जाँच मीटर एन ए बी एल प्रमाणित नहीं थे।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि प्रत्येक परीक्षण प्रयोगशाला के लिए एन ए बी एल मान्यता प्राप्त करने में 12-15 महीने के समय के साथ-साथ ₹ दो करोड़ खर्च होते हैं और इसलिए, उ पा का लि के लगभग सभी उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए वि प ख (शहरी), देहरादून और वि प ख, हल्द्वानी के अतिरिक्त चार<sup>21</sup> परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए एन ए बी एल मान्यता प्राप्त करने की योजना

<sup>21</sup> वि प ख - श्रीनगर, वि प ख -अल्मोड़ा, वि प ख -हरिद्वार और वि प ख -काशीपुर।

बनाई गई थी। प्रबंधन ने यह भी कहा कि उ पा का लि ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सभी मामलों में रिट याचिका दायर की थी।

वास्तविकता यह है कि उ पा का लि के पास एन ए बी एल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं नहीं थी और उसने विनियमों के गैर-अनुपालन से बचने के लिए अन्य एन ए बी एल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग नहीं किया, जिससे ₹ 2.79 करोड़ की हानि हुई।

**(vi) घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अनुबंध भार का उल्लंघन**

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खण्ड 5.2.3(1)(ब) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि घरेलू उपभोक्ताओं की अधिकतम माँग<sup>22</sup> लगातार तीन बिलिंग चक्रों के लिए स्वीकार्य सीमाओं से अधिक पाई जाती है, तो उपभोक्ताओं को चौथे बिलिंग चक्र के बिल के साथ एक नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है, जिसमें उन्हें सूचित किया जाएगा कि वे या तो अनुबंधित भार की सीमा में अपना भार सीमित करें या अतिरिक्त भार के लिए आवेदन करें, पाँचवे बिलिंग चक्र के दौरान ऐसा करने में विफल रहने पर, लाइसेंसधारी पिछले पाँच बिलिंग चक्रों में दर्ज अधिकतम माँग के औसत के आधार पर छठे बिलिंग चक्र में ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं के अनुबंधित भार में वृद्धि करेगा। घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा माँग के उल्लंघन के ये प्रावधान 01 अप्रैल 2021 से लागू थे।

उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा पाँच बिलिंग चक्रों (जनवरी 2022 से सितम्बर 2022) के बिलिंग आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से पता चला कि 32,041 उपभोक्ताओं ने पाँच बिलिंग चक्रों में लगातार अनुबंधित भार की सीमा को पार कर लिया था। तदनुसार, उ पा का लि को छठे बिलिंग चक्र यानी अक्टूबर 2022 से उनके अनुबंधित भार में वृद्धि करना आवश्यक था। हालाँकि, उ पा का लि ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ दर के अनुसार वसूली योग्य माँग शुल्क के संबंध में प्रति माह ₹ 45.47 लाख के राजस्व की हानि हुई। अगस्त 2023 तक राजस्व की हानि ₹ पाँच करोड़<sup>23</sup> आंकी गई।

---

<sup>22</sup> अधिकतम माँग कि वा या कि वो ए में, जैसे भी मामला हो, का अर्थ है अधिकतम उपयोग की अवधि के दौरान लगातार 30/15 मिनट (उपयोग में होने वाले मीटर के प्रकार के अनुसार) में आपूर्ति की जाने वाली औसत कि वा या कि वो ए।

<sup>23</sup> ₹ 45.47 लाख x 11 महीने (अक्टूबर 2022 से अगस्त 2023)।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2024) कि उक्त प्रावधानों के कार्यान्वयन में विलंब के कारणों में कोविड-19 महामारी भी एक कारण थी। हालाँकि, इसने उक्त प्रावधानों को लागू किया और 1.34 लाख उपभोक्ताओं (211 मेगावाट के संगत भार के साथ) के अनुबंधित भार में वृद्धि की और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के कारण ₹ 10.83 करोड़ की राशि भी जुटाई/बिल निर्गत किए।

**(vii) घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य द्वारा अनुबंधित भार का उल्लंघन**

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम 2020 के खण्ड 5.2.3 (1) सपठित टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य पर **अतिरिक्त भार/ माँग दंड** के रूप में निर्धारित शुल्क की सामान्य दर से दोगुना जुर्माना केवल उस महीने के लिए देय था जिसमें अधिकतम माँग<sup>24</sup> अनुबंधित भार से अधिक थी।

इसके अतिरिक्त, उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खंड 5.2.3 (2) में प्रावधानित है कि जब अधिकतम माँग लगातार तीन बिलिंग चक्रों के लिए अनुबंधित भार से अधिक हो, उपभोक्ता को तीसरे बिल के साथ एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें उसे या तो भार को अनुबंधित भार के भीतर सीमित करने या अतिरिक्त भार के लिए आवेदन करने के लिए सूचित किया जाएगा, ऐसा न करने पर, ऐसे **अतिरिक्त भार/ माँग** के लिए शुल्क, टैरिफ आदेश के साथ पठित **खंड 5.2.3 (1) के अनुसार** अतिरिक्त भार/ माँग दंड उल्लंघन के लिए शुल्क का दोगुना होगा, यानी प्रभावी रूप से उ वि नि आ द्वारा निर्धारित सामान्य नियत शुल्क का चार गुना होगा।

विनियमों के उक्त प्रावधान उन उपभोक्ताओं के मामलों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम कर सकते हैं जो लगातार अपने अनुबंधित भार का उल्लंघन करते हैं लेकिन अपने अनुबंधित भार को बढ़ाने के लिए अनिच्छुक हैं। हालाँकि, इन प्रावधानों को तीन साल से अधिक के विलंब से दिसम्बर 2023 में लागू किया गया था। लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच के तौर पर अपने अनुबंधित भार का उल्लंघन करने वाले 43 औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिलिंग आंकड़ों का विश्लेषण किया और जून 2021 से नवम्बर 2023 की अवधि के दौरान ₹ 1.59 करोड़ के अतिरिक्त भार माँग दंड के गैर-आरोपण की गणना की **(परिशिष्ट-4.5)**।

<sup>24</sup> उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के प्रस्तर 1.2 (ii) के अनुसार "अधिकतम माँग" किलोवाट या के वी ए में अधिकतम माँग को संदर्भित करता है, जैसा भी मामला हो, अधिकतम उपयोग की लगातार 30/15 मिनट (उपयोग किए जा रहे मीटर के प्रकार के आधार पर) अवधि के दौरान आपूर्ति की गई औसत किलोवाट या के वी ए का अर्थ होगा, जहाँ ऐसा मीटर किलोवाट या के वी ए में अधिकतम माँग को सीधे पढ़ने की विशेषताओं के साथ होगा।

प्रबंधन ने कोविड-19 और दंड प्रावधानों की विभिन्न व्याख्याओं का हवाला देते हुए उ वि नि आ से उक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता को इन प्रावधानों के कार्यान्वयन में विलंब के कारणों के रूप में विदित किया और अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि उसने दिसम्बर 2023 से चार गुना अतिरिक्त माँग दण्ड के प्रावधानों को लागू किया और घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त, भार का उल्लंघन करने वाले अन्य उपभोक्ताओं से ₹ 40.85 करोड़ (₹ 27.93 करोड़ वसूल) की अतिरिक्त माँग शुल्क अधिरोपित की (अगस्त 2024)।

लेखापरीक्षा का मत है कि प्रबंधन द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उ वि नि आ से समय पर प्राप्त कर इस तरह के राजस्व संबंधी मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी।

**(viii) मीटरों का अपर्याप्त आवधिक निरीक्षण/परीक्षण और मापांकन**

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम 2020 के खंड 5.1.3 में प्रावधान है कि उ पा का लि मीटरों का आवधिक भौतिक निरीक्षण/परीक्षण और मापांकन करेगा। तदनुसार, सभी एच टी मीटर (निरीक्षण/परीक्षण/मापांकन सहित) और एल टी मीटर क्रमशः प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार जाँच के लिए योग्य थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान उ पा का लि द्वारा की गई जाँचों की संख्या अपर्याप्त थी और इसने किसी विशेष मीटरकी जाँच की आवधिकता की निगरानी और सत्यापन के लिए कोई आई टी आधारित तंत्र स्थापित नहीं किया। हालाँकि, उ पा का लि ने (मई 2019) फील्ड इकाइयों के लिए मीटरों की जाँच, निरीक्षण और उपभोक्ताओं के अध्ययन के आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किए थे, जैसा कि **परिशिष्ट-4.6** में वर्णित है। वर्षवार समेकित लक्ष्य और जाँच का विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका-4.12: जाँच लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियां

वर्ष	आंतरिक लक्ष्य	जाँच	जाँच की प्रतिशतता	चोरी के विरुद्ध एफ आई आर	मूल्यांकन (₹ करोड़ में)	वसूली (₹ करोड़ में)	वसूली की प्रतिशतता
2021-22	60,120	16,040	26.68	3,695	37.43	2.02	5.40
2022-23	60,480	21,962	36.31	5,250	50.40	28.22	55.99
2023-24	61,320	19,823	32.33	3,576	18.42	3.92	21.28
<b>योग</b>	<b>1,81,920</b>	<b>57,825</b>	<b>31.78</b>	<b>12,521</b>	<b>106.25</b>	<b>34.16</b>	<b>32.15</b>

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, उ पा का लि के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जांचे गए मीटरों की संख्या प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम थी एवं 2021-22 से

2023-24 के मध्य केवल 31.78 प्रतिशत रही। संबंधित आकलनों के विरुद्ध वसूली भी केवल 32.15 प्रतिशत रही। लक्ष्यों की तुलना में जांचे गए मीटरों की संख्या काफी कम थी।

चूंकि मीटरों की जांच/अध्ययन का उद्देश्य एक नियामक आवश्यकता है तथा विद्युत चोरी की रोकथाम/पता लगाना, सटीक बिलिंग, सुरक्षा में सुधार और हानि को कम करना, सुनिश्चित करना है। इसलिए उ पा का लि के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि आवश्यक संख्या में मीटरों/संयोजनों की जांच की जाए और ऐसी सभी जाँचों (आंतरिक रूप से या आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से की गई) का एक डेटाबेस बनाए रखा जाए।

जाँच/परीक्षण लक्ष्यों (मई 2019) में अनुबंधित भार 500 के वी ए से 1000 के वी ए और अनुबंधित भार 1000 के वी ए से अधिक वाले सभी मीटरों का कम से कम प्रत्येक साल एक बार अध्ययन किया जाना सम्मिलित था। हालाँकि, लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों में इस तरह के उपभोक्ताओं का अध्ययन नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि उसने आवधिक जाँच और मीटरों की जाँच के लिए आउटसोर्स एजेंसियों को लगाया था। प्रबंधन ने यह भी अवगत कराया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी करने के साथ ही जाँच की स्थिति, राजस्व आकलन और वसूली की नियमित समीक्षा व निगरानी के लिए एक समर्पित निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, 3937 एच टी मीटरों की जाँच के लिए निविदाएँ जारी की गई हैं और उपलब्ध जनशक्ति और समय के अनुसार मीटरों की जाँच की जा रही है।

#### 4.1.8.2 राजस्व वसूली से संबंधित निष्कर्ष

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 का खण्ड 6.1, उ पा का लि को नियमित रूप से भेजे गए बिल-सह-विच्छेदन नोटिस (यानी विद्युत बिल) के 15 दिनों के भीतर उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में अस्थायी आधार पर विद्युत आपूर्ति बंद कर चूक करने वाले ग्राहकों के विरुद्ध अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, यदि अस्थायी विच्छेदन की तिथि से छः महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित मीटर और उपकरणों को हटाकर स्थायी विच्छेदन किया जाएगा और बकाया राशि की वसूली के लिए राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (रा व प्र) जिला अधिकारियों को अग्रेषित करके बकाया राशि को भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए बकाया की स्थिति नीचे तालिका-4.13 में दी गई है:

तालिका-4.13: देय विद्युत बकाया का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण/वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
1	प्रारंभिक शेष	2,258.15	2,297.48	2,201.13 <sup>25</sup>
2	बिल की गई आय	7,838.63	8,911.79	9,990.86
3	कुल वसूली योग्य बकाया (1+2)	10,096.78	11,209.27	12,191.99
4	प्राप्त बकाया	7,692.58	8,821.75	9,904.86
5	माफ किए गए बकाया	106.72	185.99	38.50
6	वर्ष के अंत में शेष (3-4-5)	2,297.48	2,201.53	2,248.63

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

राजस्व वसूली और संग्रहण दक्षता पर विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है:

(i) संग्रहण दक्षता अनुपात

संग्रहण दक्षता अनुपात<sup>26</sup> (सं द अ) आवधिक आधार पर इकाई की बकाया वसूली प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। वितरण कंपनियों के संबंध में, एक उच्च अनुपात दर्शाता है कि वसूली तंत्र के लिए सु-स्थापित प्रक्रियाएं मौजूद हैं और वितरण कंपनियों की बिक्री मीटरयुक्त संयोजनों के माध्यम से की जा रही हैं। इसके विपरीत, एक कम अनुपात उपभोक्ताओं से देय धनराशि वसूलने में बहुत ही उदार दृष्टिकोण और चूक करने वाले उपभोक्ताओं से निपटने के लिए कड़े उपायों की कमी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ पा का लि स्तर पर सं द अ की समग्र उपलब्धि संग्रहण दक्षता के निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के निकट थी जैसा कि चार्ट-4.7 में दर्शाया गया है। हालाँकि, विश्लेषण से पता चला है कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान कुल वि वि ख में से 44 प्रतिशत से 67 प्रतिशत वि वि ख (पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित लोगों को छोड़कर) 99.15 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। संग्रहण दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने वाले वि वि ख का विवरण नीचे तालिका-4.14 में दिया गया है:

तालिका-4.14: संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त न करने का विवरण

वर्ष	ऐसे वि वि ख की संख्या जो लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे/कुल वि वि ख (पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर)	शीर्ष पाँच वि वि ख और उनके सं द अ (प्रतिशत में)
2021-22	18/27	विकासनगर (87.45), हल्द्वानी शहरी (91.71), हरिद्वार-शहरी (93.98), रुड़की-शहरी (94.17) रुद्रपुर-II (94.19).


<sup>25</sup> आर टी एस-4 में वाणिज्यिक डेयरी में ₹ 0.40 करोड़ का समायोजन हुआ।

<sup>26</sup> उ वि नि आ द्वारा टैरिफ आदेश 2022-23 में तैयार संग्रहण दक्षता अनुपात की कार्यप्रणाली= (वर्तमान मूल्यांकन + बकाया) की वसूली / वर्तमान मूल्यांकन।

वर्ष	ऐसे वि वि ख की संख्या जो लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे/कुल वि वि ख (पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर)	शीर्ष पाँच वि वि ख और उनके सं द अ (प्रतिशत में)
2022-23	12/27	लक्सर (83.87), मध्य-देहरादून (91.21), रूड़की-शहरी (92.79), रुद्रपुर-II (93.62), हल्द्वानी शहरी (93.93).
2023-24	15/28	लक्सर (84.33), विकासनगर (94.84), रामनगर रूड़की (94.04), ज्वालापुर (94.19), हल्द्वानी शहरी (95.28).

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान, 15 वि वि ख संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे (वि वि ख लक्सर और वि वि ख हल्द्वानी शहरी सहित जो पिछले वर्षों में भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे)। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान लक्ष्यों और उनके विरुद्ध उपलब्धियों का तिमाही-वार विश्लेषण नीचे चार्ट-4.7 में दर्शाया गया है:



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

यह देखा जा सकता है कि सं द अ लक्ष्यों से कम और चक्रीय आधार पर रहा है, जो वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में लक्ष्यों के निकट रहा है। यह विशेष रूप से उपरोक्त वित्तीय वर्षों की अंतिम तिमाही के दौरान वि वि ख द्वारा किए गए राजस्व संग्रहण अभियानों के कारण था।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि राजस्व वसूली शिविर आयोजित किए जा रहे थे। डिजिटल/ऑनलाइन भुगतान विधियों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए डिजिटल और प्रिंट मीडिया का उपयोग किया जा रहा था।

**(ii) वर्ष के प्रारम्भिक महीनों के दौरान खराब संग्रहण दक्षता**

अभिलेखों से वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक माहों में खराब संग्रहण की सामान्य प्रवृत्ति पाई गई, जो बाद के माहों में धीरे-धीरे बढ़ गई। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के प्रथम छः महीनों के दौरान खराब मासिक सं द अ वाले शीर्ष पाँच वि वि ख (परिशिष्ट-4.7) संक्षेप में नीचे तालिका-4.15 में दर्शाये गए हैं:

तालिका-4.15: वर्ष के प्रारम्भिक छह महीनों के दौरान खराब संग्रहण दक्षता वाले वि वि ख (प्रतिशत में)

क्र. सं.	खण्डों का नाम	अप्रैल से सितम्बर की अवधि के दौरान सं द अ की सीमा		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	विकासनगर	38.82 - 68.74	49.19 - 78.88	50.65 - 69.09
2	हल्द्वानी (शहरी)	31.46 - 55.58	39.28 - 62.77	41.08 - 65.05
3	रामनगर (रुड़की)	49.63 - 74.68	45.00 - 74.97	43.86 - 77.12
4	रुड़की (शहरी)	34.97 - 72.28	55.52 - 76.80	55.52 - 77.07
5	हल्द्वानी (ग्रामीण)	30.35 - 68.87	42.69 - 82.80	47.82 - 79.33


स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

उ वि नि आ ने वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ पर अपने आदेश (31 मार्च 2022) में वर्ष के प्रारम्भिक छः महीनों के दौरान खराब संग्रहण दक्षता के प्रति भी चिंता व्यक्त की है और उ पा का लि से इसके लिए एक कार्य योजना मांगी है। इस संबंध में उ वि नि आ के आगे के निर्देशों (मार्च 2024) पर, उ पा का लि ने खण्डवार संग्रहण और हानि न्यूनीकरण प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करने और इन मापदंडों में सुधार के उपाय सुझाने के लिए निदेशकों की एक समिति का गठन किया (सितम्बर 2024)।


**(iii) राजस्व वसूली और बकाया का प्रवृत्ति विश्लेषण**

राजस्व वसूली<sup>27</sup> का प्रवृत्ति विश्लेषण दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अंतिम तिमाही के अंत में लंबित देय/ बकाया न्यूनतम था, जो शेष तीन तिमाहियों के लिए धीरे-धीरे एवं लगातार बढ़ा और चौथी तिमाही में फिर से गिर गया, जैसा कि परिशिष्ट-4.8 में वर्णित है और नीचे चार्ट-4.8 में दर्शाया गया है:

<sup>27</sup> उपभोक्ताओं से संबंधित (आर टी एस-1, आर टी एस-2, आर टी एस-3, आर टी एस-4 और आर टी एस-5)।



यह देखा जा सकता है कि आर टी एस-4 (निजी नलकूप) के विरुद्ध बकाया में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है (₹ 189.93 करोड़ से ₹ 230.40 करोड़), जो 2021-22 से 2023-24 के दौरान 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है जैसा कि नीचे चार्ट-4.9 में दर्शाया गया है:



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

उपरोक्त से यह भी संकेत मिलता है कि निजी नलकूप उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली प्रभावी ढंग से नहीं की जा रही थी।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि नकदी अंतर्वाह की निगरानी के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही थीं और इसी के अनुक्रम में चूककर्ता उपभोक्ताओं के संयोजनों को विच्छेदित किया जा रहा था एवं भूमि राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा-3 और धारा-5 के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही की जा रही थी। यह भी अवगत कराया गया कि खण्ड एवं मण्डल स्तर पर राजस्व वसूली, बिलिंग दक्षता, वितरण हानि आदि जैसे विभिन्न वाणिज्यिक मापदंडों की नियमित समीक्षा और निगरानी के लिए एमडी डैशबोर्ड नामक एक इंटरफेस विकसित किया गया था।

***(iv) प्रतिभूति जमा से ₹ 769.10 करोड़ अधिक का बकाया***

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खण्ड 6.1 में अनुमान्य समय या विस्तारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को काटने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, उक्त विनियमों के खण्ड 4.2 के अनुसार उ पा का लि को प्रतिभूति जमा<sup>28</sup> (प्र ज) की पर्याप्तता के लिए प्रत्येक साल अप्रैल में उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न की समीक्षा करनी होगी और पिछले वर्ष के दौरान खपत के आधार पर उपभोक्ताओं से आवश्यक अतिरिक्त प्रतिभूति जमा (अ प्र ज) की गणना की जाएगी। विनियमों में आगे प्रावधान है कि अ प्र ज के कारण बकाया राशि के भुगतान में किसी भी तरह की चूक को लाइसेंसधारी की बकाया राशि का भुगतान न करने के रूप में माना जाएगा और उपभोक्ता का कनेक्शन अस्थायी रूप से काटा जा सकता है, तत्पश्चात उचित नोटिस देने के बाद स्थायी रूप से काटा जा सकता है। तदनुसार, उ पा का लि को बकाया राशि के संचय से बचने के लिए चूक करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के लिए समय पर कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के अनुसार, इस तरह की बकाया राशि को उपलब्ध प्र ज से अधिक संचित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

---

<sup>28</sup> एक उपभोक्ता को पिछले वित्तीय वर्ष के एन + 1 महीने की अनुमानित औसत खपत के समतुल्य या मौजूदा प्रतिभूति जमा, जो भी अधिक हो, की धनराशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यहां, एन टैरिफ आदेश में अनुमोदित बिलिंग चक्र में महीनों की संख्या है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ पा का लि ने चूक करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की और वास्तव में, उपभोक्ताओं को खंड 6.1 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए देय राशि को संचित करने दिया गया। बकाया देय राशि (₹ 5,000 से अधिक के उभोक्ता) के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 2.87 लाख उपभोक्ताओं पर देय राशि भी उ पा का लि के पास उपलब्ध प्र ज से अधिक है।

उपभोक्ताओं का श्रेणीवार विवरण नीचे तालिका-4.16 में दिया गया है:

तालिका-4.16: प्रतिभूति जमा से अधिक बकाया राशि का विवरण


आर टी एस	(सजीव) उपभोक्ताओं की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)		
		बकाया राशि	उपलब्ध प्र ज	प्र ज से अधिक बकाया राशि
आर टी एस-1 (1 अ सहित): घरेलू उपभोक्ता	2,34,780	577.32	17.52	559.80
आर टी एस-2: गैर-घरेलू उपभोक्ता	33,025	113.28	11.29	101.99
आर टी एस-4 (4 अ सहित): निजी नलकूप	1,81,64	77.07	1.69	75.38
आर टी एस-5 <sup>29</sup> : उद्योग	913	44.82	12.89	31.93
<b>योग</b>	<b>2,86,882</b>	<b>812.49</b>	<b>43.39</b>	<b>769.10</b>

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि उ पा का लि द्वारा समय पर कार्रवाई की कमी के कारण बकाया देय राशि ₹ 812.49 करोड़ हो गई। चूंकि बकाया राशि उपलब्ध प्रतिभूति जमा से ₹ 769.10 करोड़ अधिक है, इसलिए इसने उ पा का लि को महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों के प्रति उजागर किया, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में वर्णित है।

इसके अतिरिक्त, आर टी एस-5 (पूर्ववर्ती आर टी एस-7) अर्थात् औद्योगिक उपभोक्ताओं के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बकाया का 74.48 प्रतिशत (₹ 23.78 करोड़) हिस्सा शीर्ष 10 (913 में से) उपभोक्ताओं का था, जैसा कि नीचे चार्ट-4.10 में दर्शाया गया है:

<sup>29</sup> पूर्ववर्ती आर टी एस-7।



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

उपरोक्त विश्लेषण से विदित होता है कि वि वि ख और उनके उच्च कार्यालयों जैसे मण्डल/जोनल कार्यालय और उ पा का लि मुख्यालय द्वारा बकाएदारों से वसूली की निगरानी सावधानीपूर्वक नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, बकाया देयक उ पा का लि के पास उपलब्ध प्रतिभूति जमा राशि से अधिक हो गये हैं। बकाएदारों के कुछ प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

लेखापरीक्षा में जाँच से पता चला है कि:

- औद्योगिक उपभोक्ता मै. उत्तरांचल आयरन & स्पाट लिमिटेड (यू एस आई एल) (कनेक्शन संख्या केटी0के00000909) को विद्युत बकाया, उ पा का लि के पास उपलब्ध प्रतिभूति जमा (₹ 1.07 करोड़) की राशि से अधिक संचित करने की अनुमति दी गई। बकाया देयक ₹ 5.06 करोड़ (जुलाई 2019) तक संचित थे जो बढ़कर ₹ 7.62 करोड़ (जनवरी 2020), तथा ₹ 6.71 करोड़ (मार्च 2023) हो गये।
- बकाया राशि के विरुद्ध लगातार चूक/ आंशिक भुगतान के बावजूद, मै. यू एस आई एल को अप्रैल 2016 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान एक के बाद एक, सात बार किस्त सुविधा के माध्यम से बकाया राशि का भुगतान करने की अनुमति दी गई। वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान दी गई किस्त सुविधा का विवरण नीचे तालिका-4.17 में दिया गया है:

तालिका-4.17: मै. यू एस आई एल को प्रदत्त किस्त सुविधाओं का विवरण

वर्ष	सुविधा प्रदान करने की तिथि	सुविधा राशि (₹ करोड़ में)	अनुमत किस्तों की संख्या	स्थिति/बकाया (31 मार्च 2024)
2019-20	21.01.2020	6.35	12	औद्योगिक इकाई फरवरी
2021-22	19.06.2021	9.51	24	2024 में बंद हो गयी।
2022-23	20.07.2022	5.70	29	बकाया: ₹ 8.12 करोड़

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

- लेखापरीक्षा ने जुलाई 2018, सितम्बर 2021 तथा उसके बाद अप्रैल 2023 में निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से मै. यू एस आई एल द्वारा बकाया भुगतान न किए जाने का मुद्दा उठाया था हालाँकि, उपभोक्ता को आंशिक भुगतान/भुगतान चूक जारी रखने की अनुमति दी गई और विनियमों के अनुसार कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई।
- उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति को लगभग 10 बार अस्थायी रूप से काटा (जनवरी 2024 में अंतिम अस्थायी विच्छेदन ₹ 8.12 करोड़ की लागत से) गया, हालाँकि, बकाया राशि की पूर्ण वसूली किए बिना आपूर्ति बहाल कर दी गई।
- उपभोक्ता के परिसर को ₹ 32.73 करोड़ के बकाया के सापेक्ष इंडियन ओवरसीज बैंक (इं ओ बै) द्वारा कब्जे में ले लिया गया और नीलामी की प्रक्रिया चल रही थी (फरवरी 2024)।

इं ओ बै द्वारा परिसरों को जब्त करने तथा उक्त परिसरों के सिडकुल क्षेत्र में होने के दृष्टिगत, उ पा का लि के बकाया देयक (₹ 8.12 करोड़) की वसूली की संभावना बहुत कम है।

एक अन्य दृष्टांत में, यह पाया गया कि:


- औद्योगिक उपभोक्ता मै. खटीमा फाइबर्स लिमिटेड (कनेक्शन संख्या केएच0के000003327) को प्रतिभूति जमा से अधिक विद्युत बकाया संचित करने दिया गया। बकाया देयक ₹ 6.99 करोड़ (अक्टूबर 2019) से बढ़कर ₹ 8.66 करोड़ (जुलाई 2022) हो गये तथा ₹ 5.87 करोड़ (मार्च 2024) तक थे।
- जून 2017 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान उपभोक्ता को आठ बार किस्त सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान दी गई किस्त सुविधाओं का विवरण नीचे तालिका-4.18 में दिया गया है:

तालिका-4.18: मै. खटीमा फाइबर लिमिटेड को प्रदत्त किस्त सुविधाओं का विवरण

वर्ष	सुविधा प्रदान करने की तिथि	सुविधा राशि (₹ करोड़ में)	अनुमत किस्तों की संख्या	स्थिति/बकाया (31 मार्च 2024)
2021-22	27-05-2021	4.32	6	उपभोक्ता अक्टूबर 2023 से सी आई आर पी <sup>30</sup> के अंतर्गत है। बकाया: ₹ 5.87 करोड़
	28-12-2021	2.09	4	
2022-23	08-07-2022	6.45	10	

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

- लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2023 में निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से मै. खटीमा फाइबर लिमिटेड द्वारा भुगतान चूक का मुद्दा उठाया। हालाँकि, उपभोक्ता के खिलाफ विनियमों के अनुसार कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई।
- 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान मै. खटीमा फाइबर लिमिटेड के सापेक्ष बकाया देय, उपलब्ध प्रतिभूति जमा और किस्तों का प्रक्षेपवक्र नीचे चार्ट-4.11 में दर्शाया गया है:



<sup>30</sup> कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया।

- इसके बाद, उ पा का लि को पता चला कि वित्तीय लेनदारों/ उधारदाताओं द्वारा उपभोक्ता को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, (दि शो अ सं) 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (कॉ दि स प्र) में लाया गया था (22 अक्टूबर 2023)। परिणामस्वरूप, उ पा का लि का राजस्व ₹ 4.65 करोड़ (कॉ दि स प्र से पूर्व के बकाया के रूप में) कॉ दि स प्र में फंस गया, जिससे वसूली की नगण्य<sup>31</sup> संभावनाएँ दिखाई देती हैं। कुल बकाया ₹ 7.63 करोड़ (31 मार्च 2025) रहा।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि बकाया राशि को प्रतिभूति जमा से अधिक होने देना और उपरोक्त उपभोक्ताओं को कई बार किस्त की सुविधा का लाभ देना उ पा का लि के वित्तीय और वाणिज्यिक हितों के विरुद्ध था।

**अ प्र ज की वसूली की दिशा में  
नवीनतम घटनाक्रम**

इससे पहले जनवरी-फरवरी 2023 में, अ प्र ज की वसूली न करने का मामला भी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था, जो अप्रैल 2023 में उ पा का लि को जारी निरीक्षण प्रतिवेदन का हिस्सा था।

उ पा का लि द्वारा दायर याचिका (मार्च 2023) पर, उ वि नि आ ने (नवंबर 2023) उ पा का लि को मासिक विद्युत बिल में बकाया अ प्र ज की राशि जोड़कर अधिकतम 12 समान मासिक किस्तों (ई एम आई) में अ प्र ज के बकाया को वसूलने की अनुमति दी।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवंबर 2024) कि उ पा का लि ने अ प्र ज के तहत वित्त वर्ष 2024-25 (अक्टूबर 2024 तक) में ₹ 181.08 करोड़ की वसूली/बिलों में समायोजित किया।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जून 2024 और नवम्बर 2024) कि सभी क्षेत्रीय इकाइयों को ऐसे सभी संयोजनों की पहचान करने, जिनके बकाया उ पा का लि के पास उपलब्ध उनकी प्रतिभूति जमा राशि से अधिक हो गए हों और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

अ प्र ज की वसूली की दिशा में प्रबंधन की कार्रवाई को स्वीकार किया जाता है। तथापि, उ पा का लि द्वारा पूर्व में जारी किए गए निदेशों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे, जैसा कि औद्योगिक उपभोक्ताओं

<sup>31</sup> दिवालियापन प्रक्रिया से प्राप्त राशि के वितरण की वॉटरफॉल प्रणाली में सी आई आर पी-पूर्व विद्युत बकाया राशि के भुगतान का चरण बहुत बाद में आता है, तथा इसकी वसूली की संभावना बहुत कम होती है।

मै. यू एस आई एल और मै. खटीमा फाइबर्स लिमिटेड के मामलों में देखा गया था, जहाँ पर्याप्त राजस्व वसूली करने योग्य नहीं रह गया था। इसके अतिरिक्त, नियमित आधार पर ऐसे मामलों की समीक्षा करने में वरिष्ठ प्रबंधन की सुविधा के लिए बिलिंग प्रणाली में कोई संकेतक नहीं बनाया गया है।

**(v) कॉ दि स प्र के बाद बकाया राशि के गलत दावे के कारण ₹ 0.37 करोड़ की हानि**  
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, (आई बी कोड)-2016 के अंतर्गत ऋणदाताओं/उधारदाताओं द्वारा कॉ दि स प्र में लाए गए विद्युत उपभोक्ताओं के खिलाफ बकाया राशि का निपटारा संहिता की धारा 53 के अंतर्गत किया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ एक कॉर्पोरेट व्यक्ति की बिक्री/परिसमापन से प्राप्त आय के वितरण के क्रम और प्राथमिकता का विवरण देते हुए वाटरफॉल तंत्र<sup>32</sup> प्रदान करता है।

चूंकि परिचालन ऋणदाताओं को वितरण तंत्र में कम प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए विद्युत बकाया राशि के लिए कुछ भी वसूलने की संभावना नगण्य है।

आई बी कोड की धारा 14(2) और धारा 14(2अ) के साथ पठित धारा 5(13), अन्य बातों के साथ-साथ, कॉ दि स प्र लागत को कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के संचालन हेतु समाधान पेशेवर (आई आर पी/आर पी) द्वारा उठाए गए किसी भी खर्च के रूप में परिभाषित करता है (उ पा का लि के संदर्भ में, विद्युत उपभोक्ता जिसे दिवालियापन प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया है और जिसका प्रतिनिधित्व आई आर पी/आर पी द्वारा किया गया है) तथा आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति स्थगन की अवधि के दौरान समाप्त, निलंबित या बाधित नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि ऐसे कॉर्पोरेट देनदार ने स्थगन अवधि के दौरान ऐसी आपूर्ति से उत्पन्न बकाया राशि का भुगतान नहीं किया हो या ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

तदनुसार, सी आई आर पी के बाद विद्युत का बकाया संबंधित आई आर पी/आर पी से वसूल किया जा सकता है।

---

<sup>32</sup> प्राथमिकता: पहली: आई आर पी लागत, दूसरी: कामगारों का बकाया- 24 महीने और सुरक्षित लेनदार को देय ऋण, तीसरी: कर्मचारियों का वेतन- 12 महीने, चौथी: वित्तीय ऋण- असुरक्षित लेनदार, पाँचवीं: सरकारी बकाया, और छठी: परिचालन लेनदारों सहित शेष ऋण, उसके बाद सातवीं: शेयरधारक।

वि वि ख भगवानपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक औद्योगिक उपभोक्ता अर्थात मै. पैलेट एनर्जी सिस्टम (प्रा.) लिमिटेड (कनेक्शन संख्या बीएच0के0000026612) 20 जुलाई 2018 से कॉ दि स प्र के अंतर्गत था। तदनुसार, कॉर्पोरेट देनदार के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आई आर पी) नियुक्त किया गया था। उपभोक्ता की आपूर्ति का स्थायी विच्छेदन 24 सितम्बर 2022 को किया गया था।

आई आर पी/आर पी ने उ पा का लि से कॉ दि स प्र के बाद की देनदारियों से संबंधित जानकारी मांगी, तदनुसार, उ पा का लि ने ₹ 2.82 करोड़ (कॉ दि स प्र से पूर्व की अवधि से संबंधित ₹ 0.37 करोड़ और कॉ दि स प्र के बाद की अवधि के रूप में ₹ 2.45 करोड़) की कुल वसूली योग्य देनदारियों की गणना की, जिसके सापेक्ष उ पा का लि के पास ₹ 0.43 करोड़ की प्रतिभूति जमा पहले से ही उपलब्ध थी। हालाँकि, इसने कॉ दि स प्र के बाद की बकाया राशि से ₹ 0.43 करोड़ की उपलब्ध प्रतिभूति जमा समायोजित करने के बाद केवल ₹ 2.02 करोड़ का दावा किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपलब्ध प्रतिभूति जमा राशि ₹ 0.43 करोड़ को पहले कॉ दि स प्र -पूर्व अवधि के ₹ 0.37 करोड़ के बकाया में समायोजित किया जाना आवश्यक था और शेष ₹ 0.06 करोड़ को कॉ दि स प्र पश्चात बकाया ₹ 2.45 करोड़ में समायोजित किया जाना चाहिए था। इसलिए, आई आर पी/आर पी से ₹ 2.39 करोड़ की माँग की जानी चाहिए थी।

तदनुसार, उ पा का लि द्वारा दावा किए गए ₹ 2.02 करोड़ के कॉ दि स प्र पश्चात बकाया का भुगतान आई आर पी द्वारा (मई 2023) किया गया। इस प्रकार, उपलब्ध प्रतिभूति जमा के गलत समायोजन के कारण, उ पा का लि को ₹ 0.37 करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2024) कि प्रकरण की समीक्षा करने तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सदस्यों वाली एक समिति गठित की गई है।

समिति की परिणाम/जांच रिपोर्ट प्रतीक्षारत थी।

**(vi) समुचित जाँच के बिना उपभोक्ताओं को किस्त सुविधाएं प्रदान करना**

उ पा का लि द्वारा विशेष परिस्थितियों के कारण लंबित विद्युत बकाया वाले उपभोक्ताओं को किस्त सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार की गई संशोधित आंतरिक नीति (मई 2017) के अनुसार, उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किस्तों में अपनी बकाया राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जानी थी। किस्त सुविधा प्रदान करने की शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान था कि, किस्तों के भुगतान में चूक की स्थिति में, किस्तों में बकाया भुगतान की सुविधा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

हालाँकि, छः ऐसे प्रकरणों में (जिनमें उपभोक्ता, मै. उत्तरांचल आयरन & इस्पात लिमिटेड केटी0के000000909 और मै. खटीमा फाइबर्स लिमिटेड # केएच0के000003327 सम्मिलित हैं, जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर में चर्चा की गई है।) जहाँ औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार किस्त सुविधाएं प्रदान की गईं। बिना सम्यक प्रयत्नों के, कई बार किस्त सुविधाएं प्रदान करने का मुद्दा, लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन (अप्रैल 2023) के माध्यम से उठाया गया था और इस वि वि अ ले प के दौरान फिर से इसका अनुसरण किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, उ पा का लि ने सुविधा प्रदान करते समय अपनाई जाने वाली यथोचित जाँच प्रक्रिया तैयार की (जनवरी 2024)। संशोधित नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ताओं को उस राशि के बराबर बैंक गारंटी देने की आवश्यकता है जिसके लिए किस्त सुविधा मांगी गई है ताकि जोखिम को न्यूनतम किया जा सके और निगम को किसी भी हानि से बचाया जा सके।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि नीति को अनुमोदन के लिए नि मं के समक्ष रखा गया था, हालाँकि, नि मं ने अन्य सुरक्षा विकल्पों यथा एस्करो बैंक खाता खोलना और किस्त सुविधा के लिए अनुरोध करने वाले बकायेदार उपभोक्ताओं से पोस्ट-डेटेड चेक लेना आदि सम्मिलित करते हुये पुनः तैयार करने का निर्देश दिया। यह प्रबंधन के समक्ष विचार-विमर्श के अधीन है और आगामी नि मं बैठक में नि मं के समक्ष रखा जाएगा।

किस्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए यथोचित जाँच प्रक्रिया /तंत्र तैयार करने की दिशा में प्रबंधन कार्रवाई को स्वीकार किया जाता है। हालाँकि, उक्त तंत्र को अभी तक नि मं (जनवरी 2025) द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी था।

**(vii) राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के विरुद्ध कम वसूली**

उ पा का लि को उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राजकीय विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1958} अनुकूलन एवं संशोधन आदेश-2002 की धारा-3 के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी करने और उसके बाद बकाया राशि को भू-राजस्व के रूप में चूककर्ता उपभोक्ताओं से वसूलने के लिए उक्त आदेश की धारा-5 के अंतर्गत जिला अधिकारियों को रा व प्र अग्रेषित करने का अधिकार दिया गया है।

2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान धारा-5 के अंतर्गत जारी रा व प्र व उनके सापेक्ष राजस्व वसूली का विवरण नीचे तालिका-4.19 में दिया गया है:

तालिका-4.19: वसूली प्रमाणपत्रों के सापेक्ष वसूली

विवरण/वर्ष	रा व प्र का माध्यम	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
जारी किए गए रा व प्र (संख्या)	ऑफलाइन	5467	5036	5376	15879
	ऑनलाइन	3041	6895	5393	15329
	<b>योग</b>	<b>8,508</b>	<b>11,931</b>	<b>10,769</b>	<b>31208</b>
वसूली योग्य बकाया राशि (₹ करोड़ में)	ऑफलाइन	15.66	21.6	19.75	57.01
	ऑनलाइन	8.49	49.47	30.36	88.32
	<b>योग</b>	<b>24.15</b>	<b>71.07</b>	<b>50.11</b>	<b>145.33</b>
मार्च 2024 तक वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	ऑफलाइन	1.2	1.62	0.65	3.47
	ऑनलाइन	0.86	5.84	3.68	10.38
	<b>योग</b>	<b>2.06</b>	<b>7.46</b>	<b>4.33</b>	<b>13.85</b>
प्रतिशत वसूली	ऑफलाइन	7.66	7.5	3.29	6.09
	ऑनलाइन	10.13	11.81	12.12	11.75
	<b>योग</b>	<b>8.53</b>	<b>10.5</b>	<b>8.64</b>	<b>9.53</b>

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

तालिका से यह स्पष्ट है कि समग्र वसूली की स्थिति काफी खराब रही है और 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान यह केवल 9.53 प्रतिशत रही। यह भी पाया गया कि ऑनलाइन माध्यम (अर्थात् बिलिंग मॉड्यूल) से जारी रा व प्र के सापेक्ष वसूली ऑफलाइन माध्यम (अर्थात् हस्तलिखित जारी) में जारी की गई वसूली से थोड़ी अधिक थी।

रा व प्र से संबंधित अन्य अनियमितताओं पर नीचे चर्चा की गई है:

- ₹ 12.94 करोड़ की वसूली योग्य बकाया राशि से संबन्धित 4861 रा व प्र को जिला अधिकारियों ने अधूरा पता, उपभोक्ता का पता नहीं चल पाया, पता नहीं मिला आदि कारणों का हवाला देते हुए वापस कर दिया। इन रा व प्र के अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था और इन रा व प्र के विरुद्ध वसूली मार्च 2024 तक लंबित रही।

- इसी प्रकार, 11 स्थायी विच्छेदित उपभोक्ताओं (**परिशिष्ट-4.9**) जिनकी विद्युत आपूर्ति वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान काट दी गई थी, को रा व प्र जारी किए गए थे, लेकिन देय राशि ₹ 1.95 करोड़ अभी भी बकाया थी (मार्च 2024)। इन मामलों में से, दो उपभोक्ताओं अर्थात् मै. रुद्र ऑटो टेक और मै. विंडलास ऑटो के विरुद्ध क्रमशः ₹1.05 करोड़ और ₹ 0.17 करोड़ के लिए रा व प्र जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन उपभोक्ताओं ने वर्ष 2023-24 के दौरान अपना जी एस टी रिटर्न जमा किया था, जो दर्शाता है कि ये उपभोक्ता अभी भी सक्रिय थे और इसलिए, प्रभावशाली अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से बकाया वसूल किया जा सकता था।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि सभी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे जिला अधिकारियों के साथ ऐसे सभी प्रकरणों के लिए समन्वय बनाए ताकि रा व प्र के सापेक्ष 100 प्रतिशत वसूली सुनिश्चित हो सके और उन मामलों का प्रभावी तरीके से अनुसरण करें जहाँ जिला अधिकारियों द्वारा रा व प्र वापस किए जा चुके हैं। वास्तविकता यह है कि 2021-24 की अवधि से संबंधित ₹ 131.48 करोड़ (जारी: ₹ 145.33 - वसूली: ₹ 13.85 करोड़) मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक रा व प्र के सापेक्ष वसूली अभी भी लंबित है जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन के दिशा निर्देशों के प्रभावशाली अनुपालन की आवश्यकता है।

**(viii) हस्त लिखित राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करना**

उ पा का लि ने 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान ₹ 57.01 करोड़ के राजस्व से संबन्धित 15879 हस्त लिखित रा व प्र जारी किए (**तालिका-4.19**) और तत्पश्चात इन रा व प्र का विवरण उच्च प्रबंधन द्वारा राजस्व वसूली की प्रकरणवार निगरानी के लिए उ पा का लि की बिलिंग प्रणाली में दर्ज नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2024) कि वि वि ख भगवानपुर द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 2.65 करोड़ के 252 हस्त लिखित रा व प्र जारी करने की सूचना उ पा का लि मुख्यालय को प्रेषित की गई। हालाँकि, वि वि ख भगवानपुर द्वारा मार्च 2022 के दौरान जारी ₹ 8.18 करोड़ के दो रा व प्र (₹ 4.75 करोड़- मै. कामा मेटल्स और ₹ 3.43 करोड़ - मै. उत्तरांचल स्टील) की सूचना उ पा का लि के उच्च प्रबंधन को नहीं दी गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, प्रबंधन ने सभी क्षेत्रीय इकाइयों को केवल ऑनलाइन माध्यम से रा व प्र जारी करने और मासिक रूप से जारी रा व प्र की स्थिति उ पा का लि मुख्यालय को भेजने के निर्देश जारी किए (नवम्बर 2024)। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन द्वारा यह भी अवगत कराया गया (नवम्बर 2024) कि पूर्व में जारी किए गए सभी रा व प्र को निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बिलिंग सिस्टम में प्रविष्ट किया जाएगा।

हालाँकि, ऑफलाइन रा व प्र की बिलिंग सिस्टम में प्रविष्टि करने की दिशा में हुयी प्रगति/अद्यतन स्थिति की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई (जनवरी 2025)।

**(ix) स्थायी विच्छेदन में विलंब**

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खंड 6.1 में विद्युत आपूर्ति के अस्थायी विच्छेदन का प्रावधान है, यदि उपभोक्ता द्वारा अनुग्रह अवधि या किसी ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि बकाया राशि का भुगतान अस्थायी विच्छेदन के छः माह के अंदर नहीं किया जाता है, तो कनेक्शन, स्थायी विच्छेदन एवं उपभोक्ता परिसर से मीटर संबंधित बुनियादी ढाँचे को हटाने और भू-राजस्व के रूप में बकाया राशि की वसूली के लिए जिला प्राधिकारियों को रा व प्र जारी करने योग्य है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 16,060 उपभोक्ता (प्रत्येक पर ₹ 1,000 से अधिक बकाया) थे, जिनका कुल बकाया ₹ 80.12 करोड़ (मार्च 2024) था, जैसा कि नीचे तालिका-4.20 में दिया गया है:

तालिका-4.20: लंबित स्थायी विच्छेदन वाले उपभोक्ता

(₹ करोड़ में)

माह	उपभोक्ताओं/संयोजनोंकी संख्या	बकाया देय राशि (31 मार्च 2024)	उपलब्ध प्र ज	प्र ज से अधिक बकाया राशि
6-11	1,548	9.47	0.35	9.12
12-17	3,489	15.74	1.49	14.25
18-24	1,909	11.46	0.38	11.08
>24	9,114	43.45	1.33	42.12
<b>योग</b>	<b>16,060</b>	<b>80.12</b>	<b>3.55</b>	<b>76.57</b>

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि 16,060 संयोजनों में से ₹ 70.66 करोड़ बकाया देय से संबन्धित 14,512 संयोजनों का स्थायी विच्छेदन 12 महीने या उससे अधिक समय से लंबित था। यह ऊपर उल्लिखित नियामक प्रावधानों का उल्लंघन था और साथ ही उ पा का लि के वित्तीय हित के भी विरुद्ध था।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि वह समस्त उपभोक्ताओं से सभी प्रकार के बकाया की वसूली के लिए अत्यधिक सावधानी बरत रहा था और बकाया देयों की समय पर वसूली हेतु अस्थायी विच्छेदन और स्थायी विच्छेदन के मामलों की निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया गतिमान थी, तथा इस संबंध में सभी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देश जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केंद्रीय स्तर पर अस्थायी विच्छेदन और स्थायी विच्छेदन के मामलों की निगरानी करने और बकाया राशि को समय पर वसूलने के लिए तंत्र अभी तक विकसित नहीं किया गया था (जनवरी 2025)।

**(x) बिल न किए गए/बिल बंद किए गए संयोजनों का निपटान**

बिल न किए गए (बिल नहीं)/बिल बंद किए गए (बिल बंद) वे उपभोक्ता हैं जिनके संबंध में आगे बिल नहीं बनाए गए हैं या आगे की बिलिंग रोक दी गई है। 31 मार्च 2021 तक 1,61,580 बिल नहीं/बिल बंद कनेक्शन थे। उ वि नि आ ने अपने टैरिफ ऑर्डर (अप्रैल 2020) के अंतर्गत उ पा का लि को प्रत्येक तिमाही में कम से कम पाँच प्रतिशत बिल नहीं/बिल बंद प्रकरण ऋणमुक्त और अंतिमिकरण करने हेतु निर्देशित किया था। हालाँकि, इसमें बहुत कम प्रगति हुई है और संख्या 1,61,580 (मार्च 2021) से घटकर 1,30,362 (मार्च 2024) हो गई है, अर्थात् केवल 19 प्रतिशत की कमी आई। 31 मार्च 2024 तक 1,30,362 बिल नहीं/बिल बंद मामलों के सापेक्ष ₹ 441.63 करोड़ बकाया राशि थी।

बिल नहीं/बिल बंद संयोजनों पर बकाया राशि की वसूली का मामला उ पा का लि की लेखापरीक्षा समिति द्वारा क्रमशः 20 मई 2022, 10 जून 2022 और 12 दिसम्बर 2022 को आयोजित अपनी 71वीं, 72वीं और 77वीं बैठकों में भी उठाया गया और बिल नहीं/बिल बंद मामलों के निपटान की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि उसके प्रयासों से बिल नहीं/बिल बंद प्रकरणों की संख्या घटकर 1,06,489 हो गई, जिन पर बकाया राशि ₹ 355.29 करोड़ (नवम्बर 2024 तक) थी और समर्पित निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा उन्हें और कम करने के लिए नियमित प्रयास भी किया जा रहा था।

#### 4.1.8.3 आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र से संबंधित मुद्दे

आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है, जो एक इकाई के नि मं, प्रबंधन और अन्य कर्मियों द्वारा प्रभावित होती है, जिसे प्रभावी और कुशल संचालन, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग और लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन से संबंधित उद्देश्यों की उपलब्धि के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, निगरानी गतिविधियों में दिन-प्रतिदिन के निरीक्षण और उच्च प्रबंधन द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रदर्शन के आवधिक मूल्यांकन की परिकल्पना की गई है।

लेखापरीक्षा में उ पा का लि प्रबंधन के कमजोर आंतरिक नियंत्रण और निगरानी से संबन्धित बिन्दु पाये गए जिसके कारण कुछ वि वि म/वि वि ख में उच्च वितरण हानि और राजस्व की अप्रभावी वसूली, विशेष रूप से, देयकों की बकाया राशि, उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) विनियम, 2020 के प्रावधान का अनुपालन न करना और उपभोक्ताओं द्वारा सी जी आर एफ और विद्युत लोकपाल में शिकायतें जैसे प्रकरण संज्ञान में आए जिसके परिणामस्वरूप संभावित राजस्व की हानि हुई जैसा प्रस्तर-4.1.8.1 और 4.1.8.2 में चर्चा की गयी है। इसके अतिरिक्त, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और निगरानी से संबन्धित प्रकरणों की आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

#### (i) उ पा का लि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियामक और कानूनी प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन

उपभोक्ता शिकायतों पर फरवरी 2022 से जुलाई 2023 के दौरान निर्गत सी जी आर एफ और विद्युत लोकपाल आदेशों की समीक्षा में पाया गया कि उ पा का लि के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा बार-बार गलतियां/विद्युत अधिनियम, 2003, उ वि नि आ टैरिफ आदेशों और अन्य प्रासंगिक उ वि नि आ विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

विद्युत लोकपाल ने उपभोक्ता शिकायतों पर अपने निर्णयों/आदेशों के साथ-साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान उ पा का लि के प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) और माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव को विभिन्न पत्राचारों के माध्यम से उ पा का लि अधिकारियों द्वारा बार-बार की गई गलतियों/उल्लंघनों पर अपनी चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि ये गलतियाँ/ उल्लंघन उ पा का लि के हितों के लिए हानिकारक हैं और उपभोक्ताओं के न्यायोचित हितों के संरक्षण के विपरीत हैं।

लोकपाल के आदेशों/ पत्राचारों (परिशिष्ट-4.4) के विश्लेषण, विस्तृत आंतरिक दिशानिर्देश/ मानक संचालन प्रक्रिया (मा सं प्र) बनाने और सभी कार्यविधियों और प्रक्रियाओं पर नियमित अंतराल में प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता को दर्शाते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय संचालन में उ पा का लि के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपनाया और अनुपालन किया जाना है। इससे उच्च प्रबंधन को प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण में मदद मिल सकती है और उपभोक्ता शिकायतों को कम किया जा सकता है।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि इन दिनों विद्युत वितरण व्यवसाय सी ई आर सी/एस ई आर सी द्वारा विनियमित किया जाता है और ये आयोग उपभोक्ता संबंधी सेवा मामलों पर विनियम/आदेश जारी करते हैं। वर्तमान में उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) विनियम, 2020 और उ वि नि आ (प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2022 लागू हैं, जो लगभग सभी उपभोक्ताओं से संबंधित सेवाओं/मामलों को आच्छादित करते हैं तथा प्रत्येक उपभोक्ता सेवा के लिए विस्तृत प्रक्रिया/पद्धति निर्दिष्ट की गई है। यह भी अवगत कराया गया कि उ पा का लि ने इन विनियमों को अपनी क्षेत्रीय इकाइयों में प्रसारित किया है और उनका समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विनियमों/आदेशों के अनुपालन का प्रभाव अभिलेखों में परिलक्षित नहीं हो रहा था, जैसा कि प्रस्तर-4.1.8.1 में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, विद्युत लोकपाल ने बार बार विनियामक प्रावधानों के उल्लंघन को इंगित किया था। वितरण कम्पनी होने के नाते उ पा का लि जिस तरह से इन विनियमों/आदेशों के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाता है और क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में जिस तरह से इनसे निपटा जाता है, उसे संरचित आंतरिक दिशा-निर्देशों/ मा सं प्र आदि के माध्यम से संस्थागत रूप दिया जा सकता है।

**(ii) आंतरिक जाँच और सतर्कता प्रकोष्ठ के छापों के सापेक्ष वसूली का पृथक्करण**

उ पा का लि के क्षेत्रीय अधिकारियों और बाहरी स्रोत एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर मीटरों की जाँच की जाती है। जाँच के दौरान पाई गई चोरी/विद्युत के अनधिकृत उपयोग (वि अ उ) और अन्य अनियमितताओं के मामलों को एफ आई आर दर्ज करके और जहाँ आवश्यक हो वहाँ आकलन करके निपटाया जाता है, जैसा कि **प्रस्तर-4.1.8.1** में चर्चा की गई है।

इसी तरह, उ पा का लि का सतर्कता प्रकोष्ठ भी अपनी योजना और जनता से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर छापेमारी करता है। सतर्कता दलों द्वारा पकड़े गए चोरी/वि अ उ के मामलों को बाद में संबंधित वि वि ख को सौंप दिया जाता है, जो लगाए जाने वाले आकलन की गणना करता है और वसूली सुनिश्चित करता है जैसे **प्रस्तर-4.1.8.1** में चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आंतरिक जाँच और सतर्कता प्रकोष्ठ की जाँच के सापेक्ष वसूली के प्रभाव/मूल्य को अलग करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त, उ पा का लि द्वारा, विशेष रूप से सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा की गई छापेमारी के सापेक्ष निर्गत किए गए आकलनों और उसके सापेक्ष वसूली की स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि उ पा का लि के क्षेत्रीय अधिकारियों/ बाहरी स्रोत एजेंसियों के माध्यम से की गई जाँच और सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा की गई छापेमारी पर नज़र रखने और उनमें अंतर करने तथा उसके विरुद्ध वसूली की निगरानी करने के लिए एक आई टी आधारित प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी।

**(iii) नए कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए अर्थदण्ड का अधिरोपण**

नए सेवा कनेक्शन (न से सं) का समय पर प्रसंस्करण एवं जारी होना सुनिश्चित करने के लिए, उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खंड 3.3.3 (17) में नए कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए उ पा का लि द्वारा उ वि नि आ को देय जुर्माना<sup>33</sup> निर्धारित किया गया है।

<sup>33</sup> यदि लाइसेंसधारी निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक को नया (एल टी) कनेक्शन प्रदान करने में विफल रहता है, तो वह आवेदक द्वारा जमा की गई राशि के प्रत्येक ₹ 1,000 (या उसके भाग) पर ₹ 5 की दर से जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा, जो कि चूक के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम ₹ 1,000 तक होगा।

इस संबंध में, यह देखा गया कि एल टी कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए सितम्बर 2021 से मार्च 2024 तक की अवधि में ₹ 7.70 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित था, जिसके सापेक्ष उ पा का लि ने ₹ 0.05 करोड़ (मार्च 2024 तक) उ वि नि आ को जमा किए। इसलिए, उक्त अवधि के लिए शुद्ध देय जुर्माना ₹ 7.65 करोड़ शेष रहा। अभिलेखों की आगे जाँच में पता चला कि एल टी कनेक्शन संबंधी जुर्माना माफ करने की उ पा का लि की याचिकाओं को, उ वि नि आ द्वारा नए कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए दर्ज कारणों के अभाव एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, निदेशक (संचालन), उ पा का लि ने क्षेत्रीय इकाइयों को विलंब के कारण बताने का निर्देश दिया (सितम्बर 2022) और गैर-क्षम्य विलंब के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों से जुर्माना वसूलने पर जोर दिया। हालाँकि, इस पर कोई प्रगति परिलक्षित नहीं हुई तथा इस तरह का जुर्माना वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 3.92 करोड़ था।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2024) कि नए कनेक्शन में विलंब मार्ग-अधिकार, भूमि विवाद और शुल्क भुगतान में विलंब आदि के कारण हुई तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा का पालन करने और विलंब के कारणों के अभिलेखीकरण के लिए निर्देशित किया गया है (मई 2024)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विलंब के कारणों का अभिलेखीकरण नहीं किया गया था, और परिणामस्वरूप, उ पा का लि को नए कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए अर्थदंड का सामना करना पड़ा।

***(iv) कुछ क्षेत्रीय इकाइयों में मानवशक्ति का आधिक्य/कम तैनाती***

उ पा का लि के मानव संसाधन की स्वीकृत पदों को 2016 तक समय-समय पर सरकार द्वारा टुकड़ों में अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, स्वीकृत 8579 अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों के सापेक्ष उ पा का लि में 2443 अधिकारी/कर्मचारी तैनात थे। इसके अतिरिक्त, 3,685 कर्मियों (31 मार्च 2024) को उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड और स्वयं सहायता समूहों (नवम्बर 2023) से रखा गया था तथा क्षेत्रीय इकाइयों ने भी दिन-प्रतिदिन के रखरखाव संबंधी कार्यकलापों के लिए बाहरी स्रोत/अनुबंधित जनशक्ति को लगाया था।

अभिलेखों से पता चला कि:

- नई/वर्तमान में सृजित इकाइयों {उदाहरण के लिए वि वि ख नैनीडंडा, वि वि ख धारचूला, वि वि ख ज्वालापुर, वि वि ख किच्छा, वि वि ख रामनगर (रुड़की), वि वि ख डोईवाला, वि वि ख मोहनपुर, वि वि ख ग्रामीण रुड़की, वि वि ख रुद्रपुर II, वि वि ख भगवानपुर और मुख्य अभियंता (वितरण)-हरिद्वार क्षेत्र} के संबंध में स्वीकृत पदों की संख्या निरंक दर्शाई गयी थी, जो इंगित करता है कि इन इकाइयों के लिए स्वीकृत मानवशक्ति अभी तक निर्धारित नहीं की गयी थी।
- वि प ख शहरी देहरादून में 07 क अ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 17 क अ की तैनाती सहित 11 इकाइयों में कुल 68 अधिकारियों (स अ-06 और क अ-43 सहित) के साथ अधिक तैनाती/अधिशेष अधिकारी/कर्मचारी थे **(परिशिष्ट-4.10)**। इसके अतिरिक्त, मुख्यतः पहाड़ी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चार इकाइयों में 59 अधिकारियों (स अ - 02 और क अ - 31 सहित) की कमी थी **(परिशिष्ट-4.11)** ।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि उ पा का लि में अनुमोदित जनशक्ति/कर्मचारी संरचना का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई, और संबंधित मुख्य अभियंताओं (वितरण) को स्वीकृत मानव शक्ति और कार्य की आवश्यकता के अनुसार अधिशेष जनशक्ति के युक्तिसंगत और उचित कार्यान्वयन हेतु तैनाती के लिए एक उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने और संबंधित जोन कार्यालयों, मण्डलों, खण्डों, उप-खण्डों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, कार्यशाला आदि में कर्मियों की कमी का आकलन करने का अनुरोध किया गया है।

#### **(V) अधीक्षण और मुख्य अभियंताओं द्वारा खण्डों का अपर्याप्त निरीक्षण**

कार्य की दक्षता बढ़ाने और प्रारंभिक चरणों में कमी/त्रुटियों की पहचान करने के उद्देश्य से, निदेशक (संचालन) ने (फरवरी 2021) सभी मुख्य अभियंताओं (वितरण) और अधीक्षण अभियंताओं (वितरण) को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक महीने कम से कम एक खंड का निरीक्षण सुनिश्चित करें और उसमें निहित 20 बिंदुओं के आधार पर कॉर्पोरेट कार्यालय को निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।

तदनुसार, तैनात मानवशक्ति के आधार पर मु अ और अ अ द्वारा प्रत्येक वि वि ख का एक वर्ष में क्रमशः एक बार और तीन बार निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था। उ पा का लि द्वारा उपलब्ध किए गए अभिलेखों के अनुसार, 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान मु अ द्वारा किए गए निरीक्षण का विवरण नीचे तालिका-4.21 में दिया गया है:

तालिका-4.21: मुख्य अभियंताओं द्वारा किए गए निरीक्षण का विवरण

वर्ष	वि वि ख की संख्या	निरीक्षण किए गए वि वि ख की संख्या	खंडों के निरीक्षण में कमी	कमी (प्रतिशत)
2021-22	44	16	28	63.64
2022-23	45	7	38	84.44
2023-24	46	9	37	80.43
<b>योग</b>	<b>135</b>	<b>32</b>	<b>103</b>	<b>76.30</b>

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

उपरोक्त तालिका-4.21 से देखा जा सकता है कि 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान मुख्य अभियंताओं द्वारा विद्युत वितरण खंडों के निरीक्षण में उल्लेखनीय कमी थी, जो उक्त अवधि के दौरान 64 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक रही। इसके अतिरिक्त, 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान अधीक्षण अभियन्ताओं के द्वारा वि वि ख का यदि कोई निरीक्षण किया हो, उसका विवरण/ अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किया गया।

प्रबंधन ने अवगत कराया (जून 2025) कि निरीक्षण निर्देश, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुये व्यवधानों के कारण प्रभावित हुए परिचालनों को बहाल और सुव्यवस्थित करने के उपायों के एक भाग के रूप में निर्गत किए गए थे, और निरीक्षण विवरण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध हैं। प्रबंधन ने आगे अवगत कराया कि क्षेत्रीय परिचालनों को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं और उनका अनुपालन समान्यतः सुनिश्चित किया जाता है। हालाँकि, निरीक्षणों का अभिलेखीकरण हमेशा संभव नहीं होता है।

अधीक्षण अभियन्ताओं के द्वारा 2021-22 से 2023-24 की अवधि में वि वि ख के निरीक्षण संबंधित अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा, निरीक्षणों की पर्याप्तता का पता नहीं लगा सकी।

#### 4.1.9 निष्कर्ष

- उ पा का लि बिलिंग अक्षमताओं और ऊर्जा की चोरी आदि के कारण होने वाली वितरण हानियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रहा। घाटे में चल रही इकाइयों में, रुड़की, लक्सर और रुद्रपुर में स्थित वि वि ख, ऊर्जा की हानि के मामले में लगातार निम्न प्रदर्शन के साथ स्पष्ट रूप से आउटलेयर थे तथा परिणामस्वरूप बिलिंग दक्षता भी खराब थी। उच्च बिलिंग दक्षता प्राप्त करने के लिए, स्मार्ट मीटरिंग का कार्यान्वयन आवश्यक उपायों में से एक था। हालाँकि, स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को लागू करने में काफी विलंब हुआ।
- उ पा का लि ने छापे और राजस्व निरीक्षण से संबंधित कार्यों की निगरानी के लिए उप महाप्रबंधक/अधीक्षक अभियंता रैंक के अधिकारी को नामित नहीं किया था।
- विद्युत की चोरी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए हरिद्वार और उ सि नगर के चोरी संभावित क्षेत्रों में समर्पित पुलिस स्टेशनों की स्थापना पाँच साल से अधिक समय से उत्तराखण्ड सरकार के स्तर पर लंबित थी।
- वि वि अ ले प के अंतर्गत आच्छादित किए गए तीन वर्षों की अवधि के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ में पर्याप्त पुलिस अधिकारियों की कमी थी और उपाधीक्षक और उप-निरीक्षकों के प्रमुख पद खाली रहे।
- निरंतर अनंतिम बिलिंग, जो रिसाव का एक स्रोत था, को दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उपभोक्ताओं और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अनुबंधित भार उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरान्त ही लागू किया गया था।
- देय राशियों की वसूली की दिशा में अनुश्रवण, पर्यवेक्षण और ठोस प्रयासों की कमी के परिणामस्वरूप बकाया राशि उपलब्ध जमा प्रतिभूति से अधिक हो गई जिससे इन बकाया देयों के विरुद्ध सुरक्षा उपायों से समझौता किया गया। बिना किसी सम्यक प्रयासों के कुछ उपभोक्ताओं को कई बार किस्त की सुविधा प्रदान करना, बकाया राशि में वृद्धि होने के कारणों में से एक था।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से जिला अधिकारियों को जारी किए गए रा व प्र के सापेक्ष वसूली बहुत कम रही और इसकी निगरानी के लिए कोई

तंत्र मौजूद नहीं था। जिला प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण पते के अभाव में वापस किए गए रा व प्र ने यह दर्शाया कि बिलिंग प्रणाली में उपभोक्ताओं के पते की सही प्रविष्ट नहीं की गई थी।

- नए कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए उ पा का लि पर लगातार अर्थदण्ड लगाया जा रहा था। आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण अपर्याप्त तथा अप्रभावी था। इसके अतिरिक्त, कानूनी/ नियामक प्रावधानों के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण/ संवेदनशील बनाने की दिशा में उचित प्रयास नहीं किए गए।

#### 4.1.10 अनुशंसाएँ

1. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड चोरी संभावित क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने में प्रगति ला सकता है एवं उसे प्राथमिकता दे सकता है तथा अधिक वितरण हानि वाले विद्युत वितरण मंडलों/खण्डों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियमित रोटेशन सुनिश्चित कर सकता है।
2. उत्तराखण्ड सरकार चोरी संभावित क्षेत्रों में समर्पित पुलिस थानों की स्थापना में प्रगति ला सकती है तथा पर्याप्त मानव शक्ति (पुलिस अधिकारियों सहित) के माध्यम से सतर्कता प्रकोष्ठ को सशक्त कर सकती है।
3. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह सुनिश्चित कर सकता है कि मुख्य/ अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खण्डों का निर्धारित समय पर निरीक्षण करें और निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तथा इन प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड छापाँ और राजस्व निरीक्षणों की निगरानी हेतु एक उप महाप्रबंधक/ अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी को नामित कर सकता है।
4. उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अनंतिम बिलिंग को अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक सीमित करने और बिल निर्गत न किए जाने/ रोके गए बिल वाले उपभोक्ताओं के प्रकरणों का समय पर समाधान करने के लिए निर्देशित कर सकती है।
5. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनुवर्ती कार्रवाई बढ़ाने के लिए ऑफलाइन जारी किए गए राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के विवरण को बिलिंग मॉड्यूल में दर्ज करने को प्राथमिकता दे सकता है।

6. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों और उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों एवं विद्युत लोकपाल के आदेशों/निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक तंत्र विकसित कर सकता है। इसमें संरचित आंतरिक दिशानिर्देश/ एस ओ पी आदि तैयार करना और अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना सम्मिलित हो सकता है।

देहरादून  
दिनांक: 30 अक्टूबर 2025



(संजीव कुमार)  
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 10 नवम्बर 2025



(के. संजय मूर्ति)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

